रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 78] प्रयागराज, शनिवार, 04 मई, 2024 ई० (वैशाख 14, 1946 शक संवत्) [संख्या 18

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1– विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	315–336	3075
भाग 1–क– नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	435–450	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4– निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश		975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	45–58	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	401–412	975
स्टोर्स–पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग–5

पदोन्नति

02 सितम्बर, 2023 ई0

सं0 I/380176/2023–श्री अखण्ड प्रताप सिंह, तत्कालीन उपजिलाधिकारी सरधना, मेरठ के विरूद्ध कार्यालय ज्ञाप संख्या-I/26785/2020, दिनांक 28 अगस्त, 2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के कारण उत्तर प्रदेश संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2010 बैच तथा 2009 बैच के छूटे हुए अधिकारियों के सेलेक्शन ग्रेड रु0 1,23,00-2,15,900, (पे मेट्रिक्स में लेवेल-13) में प्रोन्नति के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 को विभागीय चयन समिति की बैठक में समिति द्वारा श्री अखण्ड प्रताप सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित होने के कारण इनकी पदोन्नति के संबंध में निम्नवत संस्तुति करते हुए विभागीय जांच समाप्त होने तक इसे बन्द लिफाफे में रखे जाने की संस्तुति की गयी–

''चयन समिति द्वारा श्री अखण्ड प्रताप सिंह, आई0ए0एस0-2010 को सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0-1,23,100-2,15,900 (पे-मैट्रिक्स में लेवल-13) में प्रोन्नति हेतु इस शर्त के साथ उपयुक्त पाया गया कि उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में उन्हें निर्दोष पाया जाय।''

2–श्री अखण्ड प्रताप सिंह, तत्कालीन उपजिलाधिकारी सरधना, मेरठ के विरूद्ध कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28 अगस्त, 2020 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही को कार्यालय ज्ञाप संख्या-I/346642/2023-02-5099/1718/2020, दिनांक 10 जुलाई, 2023 द्वारा श्री अखण्ड प्रताप सिंह को भविष्य में सजग रहकर कार्य करने हेतु सचेतात्मक निर्देश देते हुए समाप्त कर दिया गया है।

3–अतः श्री अखण्ड प्रताप सिंह के विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही बिना दण्ड के समाप्त होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय संख्या-20011/4/92-एआईएस-II, दिनांक 28 मार्च, 2000 की गाइड लाइन के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के अधिकारी श्री अखण्ड प्रताप सिंह, आई0ए0एस0-2010 को उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री के0 बालाजी की प्रोन्नति की तिथि दिनांक 01 जनवरी, 2023 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड रु0 1,23,100-2,15,900 (पे मैट्रिक्स में लेवल-13) में एतद्द्वारा नोशनल प्रोन्नति प्रदान करते हैं।

09 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 I/425654/2023–उत्तर प्रदेश संवर्ग में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2010 बैच तथा 2009 बैच के छूटे हुए अधिकारियों के सेलेक्शन ग्रेड रु0 1,23,100-2,15,900 (पे मैट्रिक्स में लेवल-13) में प्रोन्नति हेतु मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 को विभागीय चयन समिति की बैठक में श्री अखण्ड प्रताप सिंह, तत्कालीन उपजिलाधिकारी सरधना, मेरठ के विरूद्ध कार्यालय ज्ञाप संख्या-I/26785/2020, दिनांक 28 अगस्त, 2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित होने के कारण विभागीय चयन समिति द्वारा निम्नलिखित संस्तुति को बन्द लिफाफे में रखे जाने की संस्तुति की गयी–

''चयन समिति द्वारा श्री अखण्ड प्रताप सिंह, आई0ए0एस0-2010 को सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान रु0 1,23,100-2,15,900 (पे मैट्रिक्स में लेवल-13) में प्रोन्नति हेतु इस शर्त के साथ उपयुक्त पाया गया कि उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही में उन्हें निर्दोष पाया जाय।''

2—श्री अखण्ड प्रताप सिंह, तत्कालीन उपजिलाधिकारी सरधना, मेरठ के विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही को कार्यालय ज्ञाप संख्या-I/346642/2023-02-5099/1718/2020, दिनांक 10 जुलाई, 2023 द्वारा श्री अखण्ड प्रताप सिंह को भविष्य में सजग रहकर कार्य करने हेतु सचेतात्मक निर्देश देते हुए समाप्त कर दिया गया है।

3—श्री अखण्ड प्रताप सिंह के विरूद्ध प्रचलित विभागीय कार्यवाही बिना दण्ड के समाप्त होने के दृष्टिगत श्री राज्यपाल, भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय संख्या-20011/4/92-एआईएस-II, दिनांक 28 मार्च, 2000 की गाइड लाइन के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के अधिकारी श्री अखण्ड प्रताप सिंह, आई0ए0एस0-2010 को उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री के0 बालाजी की प्रोन्नति की तिथि दिनांक 01 जनवरी, 2023 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड रु0 1,23,100-2,15,900 (पे मैट्रिक्स में लेवल-13) में आदेश संख्या-I/380176/2023-02-5099/392/2022, दिनांक 02 सितम्बर, 2023 द्वारा नोशनल प्रोन्नति प्रदान की गयी।

4—श्री अखण्ड प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, देवरिया के पत्र दिनांक 15 अगस्त, 2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त होने तथा प्रकरण में उनका कोई उत्तरदायित्व निर्धारित न होने के दृष्टिगत उनके कनिष्ठ अधिकारी श्री के0 बालाजी की प्रोन्नति की तिथि दिनांक 01 जनवरी, 2023 से सेलेक्शन ग्रेड का वास्तविक लाभ/एरियर प्रंदान किये जाने का अनुरोध किया गया।

5—अतः श्री राज्यपाल सम्यक विचारोपरान्त भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मन्त्रालय संख्या-20011/4/92-एआईएस-II, दिनांक 28 मार्च, 2000 की गाइड लाइन के Point 18.1 के अन्तर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के अधिकारी श्री अखण्ड प्रताप सिंह, आई0ए0एस0-2010 को उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री के0 बालाजी की प्रोन्नति की तिथि 01 जनवरी, 2023 से सेलेक्शन ग्रेड रु0 1,23,100-2,15,900 (पे मैट्रिक्स में लेवल-13) का वेतनमान/एरियर भुगतान की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

आयुष विभाग

अनुभाग—1

नियुक्त/तैनात

16 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 6450/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे-5,400 (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुश्री प्रियंका द्विवेदी	श्री विजय कुमार द्विवेदी	109	54100176392	दिल्ली	निवासी-408, नांगल, ठाकरान नार्थवेस्ट दिल्ली-110039	बागपत

उक्त नियुक्ति / तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी–

(1)–सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)–नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)–वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379 / दस-2005-31(9) / 2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)–उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)–उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)–नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1–02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2–अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3–आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4–ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5–गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6–चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7–केवल एक जीवित पति / पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8–राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9–अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 6451/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे-5,400 (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री राजेश कुमार मिश्रा	श्री मुरारी लाल मिश्रा	144	54100142614	रीवा मध्य प्रदेश	निवासी-ग्राम व पो0-कुलबहेरिया, मऊगंज, रीवा, मध्य प्रदेश-486333	प्रयागराज

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)—कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1—02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2—अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3—आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4—ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5—गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6—चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7—केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8—राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9—अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

(8)—उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 6452/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे-5,400 (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री अमन कुमार सिंह	श्री प्रदीप कुमार सिंह	374	54100075312	दिल्ली	निवासी-मकान नं0-46 गली नं0-10 ब्लाक-बी डिछॉव इन्क्लेव, साउथ वेस्ट दिल्ली-110043	बागपत

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1)—सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2)—नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

(3)—वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4)—उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5)—उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6)—नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7)–कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

1–02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2–अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3–आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियॉ।

4–ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5–गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6–चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7–केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8–राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9–अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियां।

(8)–उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

05 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 6811/96-आयुष-1-2023-198/2007–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या-653/06/डी0आर0/एस-9/2021-22 दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 द्वारा प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों में रीडर कौमारभृत्य के 01 पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 पवन कुमार विश्वकर्मा पुत्र श्री बागेश्वर विश्वकर्मा निवासी हाउस नं0-47451, अत्रि नगर, राजकीय आयुर्वेदी के सामने, 47451, अत्रि नगर, बांदा रोड, बांदा, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक आयुर्वेद के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, झांसी में रीडर कौमारभृत्य के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1– सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2– नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4– सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7– कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1)– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2)– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

(3)– भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4)– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5)– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6)– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7)– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8)– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

8– सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, झांसी के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9– उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 6812/96-आयुष-1-2023-323/2017–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या-111/05/डी0आर0/एस-11/2020-21 टी0सी0-1, दिनांक 02 नवम्बर, 2023 द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में प्रोफेसर अमराजे जिल्द व तजीनियत के 01 अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 सैय्यद फजलुर्रहमान काजमी पुत्र श्री सैय्यद मोइनुल हक़ काजमी निवासी 10, साईट विहार कालोनी, बेगारिया, लखनऊ, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में प्रोफेसर अमराजे जिल्द व तजीनियत के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1– सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2– नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4– सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7– कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1)– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2)– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

(3)– भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4)– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5)– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6)– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7)– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8)– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

8– सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9– उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 6813/96-आयुष-1-2023-323/2017–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या-110/01/डी0आर0/एस-11/2018-19, दिनांक 02 नवम्बर, 2023 द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में रीडर तहफ्फुजी व समाजी तिब के 01 अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 मुहम्मद साकिब पुत्र श्री मोहम्मद तैय्यब निवासी 301 अमन हाईट, फूलबाग कालोनी कुर्सी रोड, लखनऊ, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में रीडर तहफ्फुजी व समाजी तिब के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1– सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2– नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4– सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7– कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1)– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2)– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

(3)– भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4)– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5)– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6)– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7)– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8)– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

8– सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9– उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 6814/96-आयुष-1-2023-323/2017–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या-73/05/डी0आर0/एस-11/2020-21 टी0सी0-2, दिनांक 06 सितम्बर, 2023 द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में रीडर मुनाफेउल अजा के 01 अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 मुहम्मद नसीरूद्दीन पुत्र श्री मोहम्मद इस्लाम निवासी 03 हौदा, लक्ष्मीपुर बुजुर्ग, लक्ष्मीपुर बाबू, तमकुहीराज, कुशीनगर, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा

शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ में रीडर मुनाफेउल अजा के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1– सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2– नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4– सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7– कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1)– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2)– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

(3)– भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4)– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5)– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6)– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7)– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8)– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

8– सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र प्रधानाचार्य, राजकीय तकमील उत्तिब कालेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9– उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 6815/96-आयुष-1-2023-231/2015टी0सी0–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या-97/05/ डी0आर0/एस-11/2020-21, दिनांक 09 अक्टूबर, 2023 द्वारा प्रदेश के राजकीय यूनानी मेडिकल कालेजों में प्रधानाचार्य के 01 अनारक्षित पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन की संस्तुति के आधार पर डा0 वसीम अहमद पुत्र श्री फैय्याज अहमद, निवासी बाजार खास, डा0 राजेन्द्र नगर, बिलरियागंज, आजमगढ़, उ0प्र0 को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 (प्रयोज्य लेवल की प्रथम कोष्ठिका की राशि) के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षक यूनानी के पद पर मौलिक रूप से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से राजकीय यूनानी मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय, प्रयागराज में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त/तैनात किये जाने तथा आहरण वितरण प्रभार प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

1– सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक को उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 के नियम-19 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2– नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते इत्यादि भी देय होंगे।

3– वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनाक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

4– सम्बन्धित अभ्यर्थी पर उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

5– नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

6– चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो सम्बन्धित का नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

7– कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1)– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2)– अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

(3)– भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (नवीन नाम भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग) द्वारा दिये गये स्थायी पंजीकरण की 02 प्रमाणित प्रतियां।

(4)– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(5)– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(6)– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(7)– एक से अधिक पत्नी/पति जीवित न होने का प्रमाण-पत्र।

(8)– समस्त शैक्षणिक योग्यता की सत्यता सम्बन्धी इस आशय का शपथ-पत्र कि यदि शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख गलत पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

8– सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र निदेशक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के समक्ष एक माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

9– उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 यथासंशोधित 2008 में उक्त यूनानी चिकित्सा शिक्षक की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त श्रेष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

अनुभाग–2

औपबन्धिक नियुक्ति / विज्ञप्ति

सं0 7212 / 96-आयुष-2-2023-93 / 2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-14 / 08 / डी0आर0 / एस-11 / 2018-19 टी0सी0-09 दिनांक 10 जुलाई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता-सर्जरी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 प्रीति सिंह का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता / पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना / तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
डा0 प्रीति सिंह	श्री मनोज कुमार	1	53600108193	बिजनौर	ग्राम-माचकी, पो0-बहादरपुर, बिजनौर, उ0प्र0-246731	राजकीय के0जी0के0 होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, लाइनपार, मुरादाबाद।

2– शासनादेश संख्या-04 / 2021 / 1 / 4 / 2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100 / – ग्रेड पे-5,400 / – (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक / विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5)– नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(7)– प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-3197/2022, 2002/2021 एवं 28131/2021 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

(8)– कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

I– अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II– अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV– सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V– सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 7213/96-आयुष-2-2023-93/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-483/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-09 दिनांक 18 मई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता-सर्जरी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 उमा द्विवेदी का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/ तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
डा0 उमा द्विवेदी	श्री अयोध्या प्रसाद द्विवेदी	3	53600552303	प्रतापगढ़	16-ज्योति विहार, मुलायम नगर, लखनऊ, उ0प्र0-226028	शहीद राजा हरि प्रसाद मल्ल राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, बड़हलगंज, गोरखपुर।

2– शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा-भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5)– नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(7)– प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-3197/2022, 2002/2021 एवं 28131/2021 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

(8)– कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

I– अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II– अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV– सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V– सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

सं0 7214/96-आयुष-2-2023-93/2017–उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप सम्बन्धित अभ्यर्थी के सम्बन्ध में आयोग के पत्र संख्या-483/08/डी0आर0/एस-11/2018-19 टी0सी0-09 दिनांक 18 मई, 2023 के माध्यम से प्रेषित संस्तुति के आधार पर राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में प्रवक्ता-सर्जरी (शिक्षा संवर्ग के अन्तर्गत) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों में से डा0 सौरव राठौर का विवरण निम्नवत् है–

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	पदस्थापना/तैनाती स्थल
1	2	3	4	5	6	7
डा0 सौरव राठौर	श्री चन्द्र पाल राठौर	8	53600586692	फिरोजाबाद	मकान नं0-370, स्ट्रीट नं0, 8, महावीर नगर, फिरोजाबाद, उ0प्र0–283203	राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, अलीगढ़।

2– शासनादेश संख्या-04/2021/1/4/2011-का-4-2021 दिनांक 29 अप्रैल, 2021 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा चयनित हेतु संस्तुत उपर्युक्त अभ्यर्थी को उ0प्र0 राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (अध्यापकों की सेवा) नियमावली, 1990 यथासंशोधित नियमावली 2017 सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पद प्रवक्ता, वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे-5,400/– (मैट्रिक्स लेवल-10) पर तैनात करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन औपबन्धिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

(1)– अभ्यर्थी को अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के 01 माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर लेना होगा। यदि अभ्यर्थी इस अवधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करता है, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी को अपनी नियुक्ति के स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई यात्रा भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा।

(2)– अभ्यर्थी को उक्त औपबन्धिक नियुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि यदि अभ्यर्थी का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या अभ्यर्थी द्वारा अपने स्वसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है, तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और परिणाम स्वरुप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(3)– यह नियुक्ति नितान्त औपबन्धिक एवं अस्थाई है। यदि बाद में अभ्यर्थी के संबंध दिये गये प्रमाण-पत्र एवं अन्य सेवा शर्तों को असत्य पाया जाता है, तो उनकी सेवायें बिना कोई कारण बताये तत्काल समाप्त कर दी जायेगी और असत्य प्रमाण-पत्र दिये जाने के संबंध में नियमानुसार विभागीय आपराधिक (क्रिमिनल) कार्यवाही की जायेगी।

(4)– सम्बन्धित अभ्यर्थी की ज्येष्ठता बाद में नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

(5)– नवचयनित प्रवक्ता को वेतन के साथ-साथ शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत महगाई भत्ता व अन्य देय भत्ते भी नियमानुसार अनुमन्य होगें।

(6)– आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अभ्यर्थी को किसी भी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज में स्थानान्तरित किया जा सकेगा।

(7)– प्रश्नगत औपबन्धिक नियुक्ति मा0 न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-3197/2022, 2002/2021 एवं 28131/2021 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगी।

(8)– कार्यभार ग्रहण कराने वाले संबंधित अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्रों एवं डिग्रियों की आवश्यक जांच स्वयं कराना सुनिश्चित करेगें। उक्त के साथ अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने से अभ्यर्थी यदि पूर्व में अन्यत्र कार्यरत हो, तो अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित विभाग से तकनीकी त्याग-पत्र देने/कार्यमुक्त होने के उपरान्त ही योगदान आख्या स्वीकार करेंगे तथा प्रत्येक प्रमाण-पत्र एवं डिग्रियों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियाँ निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ शासन को कार्यभार प्रमाणक सहित तुरन्त प्रेषित करेगें–

अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

I– अभ्यर्थी के केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

II– अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण।

III– 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों जो सक्रिय सेवा में तथा अभ्यर्थी के निजी जीवन से पूर्णरूप से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साईज की 02 फोटों एवं अभ्यर्थी के उच्च चरित्र का प्रमाण-पत्र।

IV– सम्बन्धित अभ्यर्थी के विरूद्ध अभियोजन न चलने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक शपथ-पत्र।

V– सम्बन्धित राज्य होम्यो-मेडिकल कौंसिल/बोर्ड द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियाँ।

VI– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

VII– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

आज्ञा से,
लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग–4

कार्यालय ज्ञाप

01 जुलाई, 2023 ई0

सं0 287 / 11-4-2023-11-4001(002) / 1 / 2022–राज्य कर विभाग में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 राज्य कर के पद पर कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियो को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सदस्य विभागीय, वाणिज्य कर अधिकरण के पद पर वेतनमान रु0 37,400-67,000 ग्रेड वेतन रु0 10,000 / – (पे मैट्रिक्स लेवल-14) एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान की जाती है–

क्र0सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम
1	2	3
		सर्वश्री / श्रीमती–
1	5	गीता सिंह
2	7	महेन्द्र प्रताप सिंह-I

2– उक्त पदोन्नत अधिकारी अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण कार्यालय लखनऊ में तत्काल कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।

3–पदोन्नत अधिकारियों के तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किए जायेंगे।

रघुवीर प्रसाद,
उप सचिव।

18 अगस्त, 2023 ई0

सं0 341ए / 11-4-2023-11-4001(002) / 1 / 2022–राज्य कर अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0-302 / 11-4-2023-11-4001(002) / 1 / 2022 दिनांक 24 जुलाई, 2023 द्वारा वाणिज्य कर अधिकरण के नवपदोन्नत श्रीमती भारती योगेश, सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 को पीठ-3, कानपुर में तैनात किया गया है।

2– तात्कालिक प्रभाव से उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जुलाई, 2023 को निरस्त करते हुए श्रीमती भारती योगेश, सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 को पीठ-सहारनपुर में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

सं0 341ए-1 / 11-4-2023-11-4001(002) / 1 / 2022–राज्य कर अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या सं0-302-1 / 11-4-2023-11-4001(002) / 1 / 2022 दिनांक 24 जुलाई, 2023 द्वारा वाणिज्य कर अधिकरण के नवपदोन्नत श्री भानु प्रकाश, सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 को पीठ सहारनपुर में तैनात किया गया है।

2– तात्कालिक प्रभाव से उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24 जुलाई, 2023 को निरस्त करते हुए श्री भानु प्रकाश, सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 को पीठ-3 कानपुर में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
गौरव वर्मा,
विशेष सचिव।

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग

अनुभाग–1
कार्यालय–ज्ञाप
प्रोन्नति
17 अगस्त, 2023 ई0

सं0 1550/22-1-2023-596/97–चयन वर्ष-2023-24 में कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के अन्तर्गत वरिष्ठ अधीक्षक कारागार श्रेणी-2 (ग्रेड पे0 रु0 7,600/– वेतन मैट्रिक्स लेवल-12) के पद पर कार्यरत् श्री रूद्रेश नारायण पाण्डेय (ज्येष्ठता क्रमांक-31) को उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उप महानिरीक्षक कारागार (ग्रेड वेतन रु0 8,700/– वेतन मैट्रिक्स लेवल-13) के पद पर प्रोन्नति प्रदान करने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं।

01 दिसम्बर, 2023 ई0

सं0 2142/22-1-2023-17/2003-I–कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग में निम्नलिखित कारापालों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त संस्तुति के आधार पर अधीक्षक कारागार वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे रु0 5,400/– (यथासंशोधित पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) के पद पर अस्थायी रूप से प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं–

चयन वर्ष 2023-24

क्र0सं0	नाम	ज्येश्ठता क्रमांक
1	2	3
	सर्वश्री–	
1	कुलदीप सिंह भदौरिया	68 (मा0 उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के अधीन)
2	धीरज कुमार	69

2–यदि कोई याचिका अथवा प्रत्यावेदन विचाराधीन है, तो प्रश्नगत पदोन्नति उक्त रिट याचिका/प्रत्यावेदन में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3–उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,
राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग–1
कार्यालय–आदेश
01 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 आर-3034/38-1-2023-3510/2023–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य, प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयनित सुश्री प्रिया यादव पुत्री श्री राधे श्याम यादव (अनुकमांक-073146) को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली-1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे रु0 5,400/– (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रु0 56,100-1,77,500/–) में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने के आदेश शासन के नियुक्ति/विज्ञाप्ति संख्या-आर-782/38-1-2023-3503/2023, दिनांक 23 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत किये गये थे।

2– सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2022 के परिणाम के आधार पर सुश्री प्रिया यादव का चयन पुलिस उपाधीक्षक के पद पर हो जाने के फलस्वरूप, गृह (पुलिस सेवायें) अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-1460/छः-पू0से0-1-2023 दिनांक 29 अगस्त, 2023 द्वारा वेतनमान-15,600-39,100 ग्रेड पे-5,400 (7वें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन लेवल-10 रु0 56,100-1,77,500) में नियुक्ति के निर्गत आदेश के दृष्टिगत सुश्री प्रिया यादव द्वारा जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, चंदौली को संबोधित अपने पत्र दिनांक 01 सितम्बर, 2023 के माध्यम से उन्हें खण्ड विकास अधिकारी के पद से कार्यमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

3– तत्क्रम में सतर्कता विभाग के पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 2023 व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 द्वारा व्यक्त की गयी अनापत्ति के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त सुश्री प्रिया यादव को इस आशय से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करती हैं कि सुश्री प्रिया यादव के कार्यमुक्त होने के पश्चात वर्तमान में इनके द्वारा धारित खण्ड विकास अधिकारी के पद पर इनका कोई धारणाधिकार नहीं रहेगा एवं उक्त पद को रिक्त मानते हुए उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले आगामी/प्रस्तावित अधियाचन में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों में शामिल किया जायेगा।

17 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 आर-3042/38-1-2023-3510/2023–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य, प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2021 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयनित सुश्री नेहा सिंह पुत्री श्री राजवीर सिंह (अनुकमांक-108544) को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली-1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतन बैण्ड-3 वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड पे रु0 5,400/– (सातवें वेतन आयोग में पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-10 में रु0 56,100-1,77,500/–) में खण्ड विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किये जाने के आदेश शासन के नियुक्ति/विज्ञाप्ति संख्या-आर-789/38-1-2023-3503/2023, दिनांक 23 मार्च, 2023 द्वारा निर्गत किये गये थे।

2– सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2022 के परिणाम के आधार पर लोक सेवा उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा चयनित एवं नियुक्ति की संस्तुति पर उ0प्र0 शासन, वित्त (सेवायें) अनुभाग-2 लखनऊ की विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या-50/2023/एस-2-784/दस-2023-77/2022/2022 दिनांक 19 जुलाई, 2023 द्वारा उनकी नियुक्ति उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा समह ''ख'' में वेतन बैण्ड–3 रु0 15,600-39,100/– ग्रेड वेतन रु0 5,400/– में कोषाधिकारी/लेखाधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से की गयी हैं। अतः वह उ0प्र0 वित्त एवं लेखा समूह 'ख' की सेवा में योगदान करना चाहती हैं। उन्हें खण्ड विकास अधिकारी के पद से कार्यमुक्त करते हुए उ0प्र0 वित्त एवं लेखा समूह 'ख' की सेवा में योगदान करने का अनुरोध किया गया है।

3– तत्क्रम में सतर्कता विभाग के पत्र दिनांक 20 सितम्बर, 2023 व आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के पत्र दिनांक 21 सितम्बर, 2023 व 01 नवम्बर, 2023 द्वारा व्यक्त की गयी अनापत्ति के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त सुश्री नेहा सिंह को इस आशय से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करती हैं कि सुश्री नेहा सिंह के कार्यमुक्त होने के पश्चात वर्तमान में इनके द्वारा धारित खण्ड विकास अधिकारी के पद पर इनका कोई धारणाधिकार नहीं रहेगा एवं उक्त पद को रिक्त मानते हुए उ0प्र0 लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाले आगामी/प्रस्तावित अधियाचन में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पदों में शामिल किया जायेगा।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

30 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 R-3316/38-1-2023-01 पदोन्नति/2023–उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) में कार्यरत श्री गजेन्द्र बहादुर सिंह, उपायुक्त, सम्बद्ध कार्यालय आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त विकास आयुक्त/मुख्य विकास अधिकारी/संयुक्त मिशन निदेशक/संयुक्त आयुक्त पे मैट्रिक्स लेवल-12 (रु0 78,800-2,09,200) के पद पर तदर्थ रूप से पदोन्नत किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल सहर्श प्रदान करते है।

2– श्री गजेन्द्र बहादुर सिंह की उक्त तदर्थ पदोन्नति अग्रिम आदेशों तक के लिए की जाती है और शासन को उक्त तदर्थ पदोन्नति को कभी भी समाप्त करने का अधिकार है तथा तदनुसार श्री सिंह को उस पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिस पद से उन्हें पदोन्नत किया गया है।

3– तदर्थ आधार पर पदोन्नत श्री सिंह के विरूद्ध चल रही सी0बी0आई0 जॉच/अभियोजन के अंतिम परिणाम प्राप्त होने पर उसके विषय में उसी प्रकार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी, जैसे की जाती है यदि उन्हें तदर्थ पदोन्नति न दी गयी होती।

4– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सिंह के तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे। इस बीच श्री गजेन्द्र बहादुर सिंह पूर्व की भांति अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे।

संख्या R-3333/38-1-23-02 पदोन्नति/2023–उ0प्र0 प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग में पे मैट्रिक्स लेवल-10 (रु0 56,100-1,77,500) में कार्यरत श्री कमलेश कुमार, खण्ड विकास अधिकारी, जनपद-कानपुर देहात को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक/उपायुक्त/उपायुक्त (श्रम रोजगार)/उपायुक्त (स्वतः रोजगार)/उपायुक्त (मुख्यालय) पे मैट्रिक्स लेवल-11 (रु0 67,700-2,08,700) के पद पर पदोन्नति एवं आदेश श्री राज्यपाल सहर्श प्रदान करते है।

2– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री कमलेश कुमार की नवीन तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे, सम्प्रति वे अपने वर्तमान पदीय दायित्वों एवं कर्तव्यों को निर्वहन करते रहेंगे।

आज्ञा से,
प्रहलाद बरनवाल,
संयुक्त सचिव।

पशुधन विभाग

अनुभाग–1

कार्यालय–आदेश

24 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 4009/37-1-2023-2(23)/2018–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा पशु चिकित्साधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन एवं मण्डलीय चिकित्सा परिशद के स्वास्थ्य परीक्षण में स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त श्री राज्यपाल सुश्री प्राची सिंह पुत्री श्री हरेन्द्र सिंह, मकान नं0-7, आस्था सनसिटी विस्तार, बरेली उत्तर प्रदेश–243002 को उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा श्रेणी-2 के अन्तर्गत पे बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड वेतन रु0 5,400/–, पे मैट्रिक्स 10 में निम्न शर्तों के साथ पशुचिकित्सालय, बहजोई, जनपद संभल में तैनात करने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं–

उक्त अभ्यर्थी पशु चिकित्साधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।

1– इन अभ्यर्थियों की सेवा शर्तें शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गई संगत नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन होंगी।

2– उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हों, देय होगें।

3– उ0प्र0 अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

4– सभी अभ्यर्थी अपनी योगदान आख्या अपनी तैनाती के जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

5– समस्त अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

6– तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7– उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1)– दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्व से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2)– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3)– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4)– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5)– एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ-पत्र।

8– इन पशु चिकित्साधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4010/37-1-2023-2(23)/2018–लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा पशु चिकित्साधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को चरित्र सत्यापन एवं मण्डलीय चिकित्सा परिशद के स्वास्थ्य परीक्षण में स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त श्री राज्यपाल श्री अनुज कुमार पुत्र श्री योगेन्द्र कुमार, ए-59, डिफेन्स एन्क्लेव, सरधना रोड, कंकरखेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश-250001 को उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा श्रेणी-2 के अन्तर्गत पे बैण्ड-3, वेतनमान रु0 15,600-39,100/– ग्रेड वेतन रु0 5,400/–, पे मैट्रिक्स-10 में निम्न शर्तों के साथ पशुचिकित्सालय, गंजडुण्डवारा, जनपद कासगंज में तैनात करने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं–

उक्त अभ्यर्थी पशु चिकित्साधिकारी के पद पर योगदान की तिथि से 2 वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।

1– इन अभ्यर्थियों की सेवा शर्तें शासन द्वारा समय-समय पर राज्य कर्मचारियों हेतु निर्गत की गई संगत नियमावलियों एवं शासनादेशों के अधीन होंगी।

2– उक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते, जो भी हों, देय होगें।

3– उ0प्र0 अस्थायी/स्थानापन्न सेवायें अस्थायी सरकारी सेवा (सेवा समाप्ति) नियमावली, 1975 के अन्तर्गत किसी समय सरकारी सेवक द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक को दी गयी नोटिस द्वारा सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

4– सभी अभ्यर्थी अपनी योगदान आख्या अपनी तैनाती के जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

5– समस्त अभ्यर्थी एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

6– तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

7– उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण-पत्र/घोषणा-पत्र प्रस्तुत करने होंगे–

(1)– दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से जो सक्रिय सेवा में हों और उनसे पूर्व से परिचित हों, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

(2)– ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

(3)– गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

(4)– चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

(5)– एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का शपथ-पत्र।

8– इन पशु चिकित्साधिकारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
देवेन्द्र कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव।

पी0एस0यू0पी0–5 हिन्दी गजट–भाग 1–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 मई, 2024 ई० (वैशाख 14, 1946 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

बहराइच के जिलाधिकारी की आज्ञायें

24 अगस्त, 2023 ई0

सं0 371/बारह-ए/भू0व्य0(पुनर्ग्रहण)/2023–अधिसूचना संख्या 258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, मोनिका रानी, जिलाधिकारी बहराइच निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ, तथा उपजिलाधिकारी/नानपारा बहराइच द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 02 अगस्त, 2023 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार स्थायी कान्हा गौशाला के निर्माण हेतु नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के निवर्तन पर रखती हूं–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा/गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
बहराइच	नानपारा	चर्दा	रंजीतबोझा	36	हेक्टेयर 1.584	बंजर	स्थायी कान्हा गौशाला के निर्माण हेतु।

02 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 435/बारह-ए/भू0व्य0(पुनर्ग्रहण)/2023–अधिसूचना संख्या 258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, मोनिका रानी, जिलाधिकारी बहराइच निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ, तथा उपजिलाधिकारी/नानपारा द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 16 अगस्त, 2023 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, पीरनसीरूद्दीन के भवन को बनाने हेतु स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के निवर्तन पर रखती हूं–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा/गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बहराइच	नानपारा	चर्दा	पीरनसीरूद्दीन	597	0.040	नवीन परती	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र, पीरनसीरूद्दीन बहराइच स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

सं0 436/बारह-ए/भू0व्य0(पुनर्ग्रहण)/2023–अधिसूचना संख्या 258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त भाक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, मोनिका रानी, जिलाधिकारी बहराइच निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ, तथा उपजिलाधिकारी नानपारा द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 16 अगस्त, 2023 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, कग्गर के भवन को बनाने हेतु स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के निवर्तन पर रखती हूं–

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा / गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बहराइच	नानपारा	नानपारा	कग्गर	155मि0	0.0200	आबादी पुरानी परती	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र, कग्गर बहराइच स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
				157मि0	0.0130		
				योग . .	0.033		

सं0 437 / बारह-ए / भू0व्य0(पुनर्ग्रहण) / 2023—अधिसूचना संख्या 258 / रा0-1 / 16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए उ0प्र0 राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त भाक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 32 / 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं, मोनिका रानी, जिलाधिकारी बहराइच निम्न अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-4 में उल्लिखित ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ, तथा उपजिलाधिकारी नानपारा द्वारा उपलब्ध कराये गये पुनर्ग्रहण प्रस्ताव / संस्तुति दिनांक 16 अगस्त, 2023 के आधार पर अनुसूची के अनुसार उल्लिखित भूमि शासनादेश संख्या 744 / एक-1-2016-20(5) / 2016 दिनांक 03 जून, 2016 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बख्तावरगांव के भवन को बनाने हेतु स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के निवर्तन पर रखती हूं—

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा / गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बहराइच	नानपारा	चर्दा	बख्तावरगांव	342	0.040	नवीन परती	प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन प्राथमिक स्वास्थ्य उप केन्द्र, बख्तावरगांव बहराइच स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

मोनिका रानी,
जिलाधिकारी, बहराइच।

महोबा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

26 अप्रैल, 2023 ई0

सं0 2384/डी0एल0आर0सी0-12ए-श्रेणी परिवर्तन/2023-24—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, मनोज कुमार, जिलाधिकारी महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम-जैतपुर (ग्राम पचांयत जैतपुर) तहसील कुलपहाड़ जनपद महोबा की भूमि से परियोजना (झाँसी-खैरार-रेल दोहरीकरण) के दृष्टिगत निम्न प्रकार श्रेणी परिवर्तन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	ग्राम	गांवसभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	महोबा	कुलपहाड़	जैतपुर	788 (रास्ता)	0.413 में से 0.020	श्रेणी-6-(2) जो अन्य कारणों से अकृषित हो (रास्ता) सड़के, रेलवे, भवन, रास्ता एवं अन्य भूमि के स्थान पर श्रेणी-5-(1) कृषि योग्य भूमि नवीन परती	625 (नवीन परती)	0.093 में से 0.020	श्रेणी-5-(1) कृषि योग्य भूमि नवीन परती के स्थान पर श्रेणी-6-(2) जो अन्य कारणों से अकृषित हो (रास्ता) सड़के, रेलवे, भवन, रास्ता एवं अन्य भूमि।

सं0 2385/डी0एल0आर0सी0-12ए-श्रेणी परिवर्तन/2023-24—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, मनोज कुमार, जिलाधिकारी महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम छितरवारा (ग्राम पचांयत छितरवारा) तहसील कुलपहाड़, जनपद-महोबा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु ग्राम छितरवारा (ग्राम पचांयत छितरवारा) तहसील कुलपहाड़, जनपद-महोबा की भूमि से परियोजना (झाँसी-खैरार-रेल दोहरीकरण) के दृष्टिगत निम्न प्रकार श्रेणी परिर्वतन करता हूँ—

अनुसूची

ग्राम-कुलपहाड़, तहसील-कुलपहाड़, जनपद-महोबा

गांवसभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।								गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।						
क्र0 सं0	श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा		श्रेणी	भूमि का प्रकार	खाता संख्या	गाटा संख्या	कुल रकवा	प्रस्तावित रकवा	
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7
					हेक्टेयर	हेक्टेयर						हेक्टेयर	हेक्टेयर	
1	6(1)/ आकृषिक भूमि नाली व 6(2)/ चकमार्ग व रास्ता	नाली	2931	4979	0.041	0.009	श्रेणी-6-(1) नाली व 6(2) चकमार्ग व रास्ता श्रेणी-5(3) बंजर अन्य कृषि योग्य	श्रेणी-5(3) अन्य कृषि योग्य	बंजर	2924	5804	0.295	0.176	श्रेणी-5(3) बंजर अन्य कृषि योग्य को श्रेणी-6-(1) नाली व 6(2) चकमार्ग व रास्ता
		नाली	2931	6026	0.012	0.001								
		चकरोड	2957	4920	0.040	0.013								
		चकरोड	2957	4921	0.020	0.020								
		चकरोड	2957	5807	0.057	0.007								
		चकरोड	2957	6025	0.024	0.001								
		चकरोड	2957	6028	0.113	0.113								
		चकरोड	2957	4929	0.012	0.012								
		रास्ता	2941	4955	0.158	0.024		श्रेणी-5(3) अन्य कृषि योग्य	बंजर	2924	4918	0.291	0.106	श्रेणी-5(3) बंजर अन्य कृषि योग्य को श्रेणी 6(2) रास्ता।
		रास्ता	2941	4956	0.170	0.041								
		रास्ता	2941	5997	0.227	0.041								
					योग .. 0.874	**0.282**						**योग .. 0.282**		

सं0 2386/डी0एल0आर0सी0-12ए-श्रेणी परिवर्तन/2023-24—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-77 की उपधारा (2) एवं राजस्व अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-688/एक-1-2020-20(5)/2016 राजस्व अनुभाग-1, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, मनोज कुमार, जिलाधिकारी महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित ग्राम छितरवारा (ग्राम पचांयत छितरवारा) तहसील कुलपहाड़, जनपद-महोबा में स्थित भूमि का लोक उपयोगिता हेतु ग्राम-छितरवारा (ग्राम पचांयत छितरवारा) तहसील कुलपहाड़, जनपद-महोबा की भूमि से परियोजना (झाँसी-खैरार-रेल दोहरीकरण) के दृष्टिगत निम्न प्रकार श्रेणी परिर्वतन करता हूँ—

अनुसूची

क्र0	जिला	तहसील	ग्राम	गांवसभा की ऐसी भूमि जिसका श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।			गांव सभा की ऐसी भूमि जिससे श्रेणी परिवर्तन किया जाता है।		
				गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3
					हेक्टेयर			हेक्टेयर	
1	महोबा	कुलपहाड़	छितरवारा	365 (रास्ता) 381 चकमार्ग	0.105 में से 0.010 0.388 में से 0.003	श्रेणी-6-(2) जो अन्य कारणों से अकृषित हो (रास्ता) सड़के, रेलवे, भवन, रास्ता एवं अन्य भूमि के स्थान पर श्रेणी-5-(3) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	733 (बंजर)	0.239 में से 0.013	श्रेणी-5-(3) अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि के स्थान पर श्रेणी-6-(2) जो अन्य कारणों से अकृषित हो (रास्ता) सड़के, रेलवे, भवन, रास्ता एवं अन्य भूमि।

आकार पत्र–1

31 मई, 2023 ई0

सं0 818/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2023-24–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-744/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करे हुए मैं, मनोज कुमार जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा	महोबा	महोबा	325	0.267	श्रेणी-5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद महोबा को ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रोसेसिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु।
					327/2	0.008		
					328/1	0.178		
					329मि0	0.130		
					330	0.312		
					332	0.218		
					333/2	0.040		
					334/1	0.259		
					335	0.247		
					योग . .	1.659		

07 जुलाई, 2023 ई0

सं0 970 / डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण / 2023-24—शासनादेश संख्या-258 / रा0-1 / 16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-744 / एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करे हुए मैं, मनोज कुमार जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव / मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	कुलपहाड़	4916ख मि0	0.104	श्रेणी-5-3 कृषि योग्य बंजर भूमि	उत्तर मध्य रेलवे झॉसी को विशेष रेल परियोजना झॉसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाईन दोहरीकरण हेतु।
					4918 मि0	0.071		
					4957ख	0.042		
					5802 मि0	0.042		
					5804 मि0	0.054		
					6030ख मि0	0.073		
					4979 मि0	0.009		
					6026 मि0	0.001		
					6020 मि0	0.013		
					4921	0.020		
					4929	0.012		
					5807 मि0	0.007		
					6025 मि0	0.001		
					6028	0.113		
					4955 मि0	0.024		
					4956 मि0	0.041		
					5997 मि0	0.041		
					4957क मि0	0.042	श्रेणी-5-1 नवीन परती	
					6030क	0.048		
					योग . .	**0.758**		

सं0 971 / डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण / 2023-24—शासनादेश संख्या-258 / रा0-1 / 16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-744 / एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करे हुए मैं, मनोज कुमार जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव / मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	जैतपुर	787ख मि0	0.061	श्रेणी-5-1 कृषि योग्य भूमि नवीन परती	उत्तर मध्य रेलवे झॉसी को विशेष रेल परियोजना झॉसी- खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाईन दोहरीकरण हेतु।
					788 मि0	0.020		
					703च मि0	0.084	श्रेणी-5-3 कृषि योग्य बंजर भूमि जलाऊ लकड़ी के जंगल	
					योग . .	**0.165**		

सं0 972 / डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण / 2023-24—शासनादेश संख्या-258 / रा0-1 / 16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-744 / एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करे हुए मैं, मनोज कुमार जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ—

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव / मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	कुलपहाड़	कुलपहाड़	छितरवारा	365 मि0	0.010	श्रेणी-5-3 कृषि योग्य बंजर भूमि	उत्तर मध्य रेलवे झॉसी को विशेष रेल परियोजना झॉसी-खैरार-मानिकपुर एवं खैरार-भीमसेन रेल लाईन दोहरीकरण हेतु।
					381 मि0	0.003		
					योग . .	**0.013**		

17 जुलाई, 2023 ई0

सं0 999/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2023-24–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करे हुए मैं, मनोज कुमार जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा	महोबा	पचपहरा	707/2	0.980	श्रेणी-5-3-ड़ अन्य कृषि योग्य बंजर भूमि	पशुधन विभाग को वृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु।

सं0 1000/डी0एल0आर0सी0-12ए-पुनर्ग्रहण/2023-24–शासनादेश संख्या-258/रा0-1/16(1)-73 दिनांक 05 मार्च, 1974 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-(4) के खण्ड-(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)-2016 दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करे हुए मैं, मनोज कुमार जिलाधिकारी, महोबा निम्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 05 मार्च, 1974 के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित ग्राम पंचायत के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गांव/मौजा	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी /प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	महोबा	महोबा	महोबा	खन्ना	191/3	1.214	श्रेणी-6-4 जो अन्य कारणों से अकृषित (ऊसर)	पशुधन विभाग को वृहद गौ संरक्षण केन्द्र की स्थापना हेतु।

मनोज कुमार,
जिलाधिकारी, महोबा।

बुलन्दशहर के जिलाधिकारी की आज्ञायें

31 मई, 2023 ई0

सं0 1016/डी0एल0आर0सी0/2023–शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम अब्दुल्लापुर हुलसान, परगना व तहसील शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उपजिलाधिकारी शिकारपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 13 अप्रैल, 2023 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि गाटा संख्या-385स क्षेत्रफल 0.251 हे0 व गाटा संख्या-490 क्षेत्रफल 0.976 हे0 भूमि शासनादेश संख्या 1328/नौ-5-20-56सा/2018 दिनांक 07 अप्रैल, 2020 के अनुपालन में नगर विकास विभाग के निवर्तन में रखते हुए नगर पालिका परिषद, शिकारपुर को S.B.M. 2.0 योजना के अन्तर्गत एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	शिकारपुर	शिकारपुर	अब्दुल्लापुर हुलासन	385स	0.251	नवीन परती	नगर विकास विभाग के निवर्तन में रखते हुए नगर पालिका परिषद, शिकारपुर को S.B.M. 2.0 योजना के अन्तर्गत S.T.P. (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान) के निर्माण हेतु
				490	0.976	नवीन परती	

17 जून, 2023 ई0

सं0 1040/डी0एल0आर0सी0/2023–शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम सुर्खुरू, परगना व तहसील शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उपजिलाधिकारी शिकारपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 03 दिसम्बर, 2022 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि गाटा संख्या-130 क्षेत्रफल 0.244 हे0 व गाटा संख्या-131क क्षेत्रफल 0.1880 हे0 कुल क्षेत्रफल 0.432 हे0 भूमि अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन, युवा कल्याण अनुभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-/पचास/यु0क0

/2023 दिनांक 29 मई, 2023 के अनुपालन में युवा कल्याण विभाग के निर्वतन में रखते हुए ग्रामीण खेल मैदान की स्थापना हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	शिकारपुर	शिकारपुर	सुर्खुरू	130	0.244	बंजर	युवा कल्याण विभाग के निर्वतन में रखते हुए ग्रामीण खेल मैदान की स्थापना हेतु
				131क	0.188	बंजर	

16 नवम्बर, 2023 ई0

सं0 1257/डी0एल0आर0सी0/2023–शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (ग) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं चन्द्र प्रकाश सिंह, जिलाधिकारी बुलन्दशहर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार अनुसूचित के स्तम्भ 6 में उल्लिखित ग्राम शिकारपुर, परगना व तहसील शिकारपुर, जिला बुलन्दशहर के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ। उपजिलाधिकारी शिकारपुर द्वारा स्वप्रेरणा के साथ उपलब्ध कराये गये पुर्नग्रहण प्रस्ताव/संस्तुति दिनांक 03 नवम्बर, 2023 व स्वप्रेरणा प्रस्ताव दिनांक 30 अक्टूबर, 2023 के आधार पर अनुसूची में वर्णित भूमि गाटा संख्या-939 क्षेत्रफल 0.3762 हे0 व गाटा संख्या-940 क्षेत्रफल 0.4104 हे0 कुल क्षेत्रफल 0.7866 हे0 युवा कल्याण विभाग के निर्वतन में रखते हुए इण्डोर स्टेडियम के निर्माण हेतु निःशुल्क हस्तान्तरित की जाती है।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम/कस्बा	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विशेष प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है।
1	2	3	4	5	6	7	8
					हेक्टेयर		
बुलन्दशहर	शिकारपुर	शिकारपुर	शिकारपुर	939	0.3762	नवीन परती	युवा कल्याण विभाग के निर्वतन में रखते हुए इण्डोर स्टेडियम के निर्माण हेतु
				940	0.4104	नवीन परती	

चन्द्र प्रकाश सिंह,
जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।

बांदा के जिलाधिकारी की आज्ञायें

21 मार्च, 2023 ई0

सं0 38/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या-744/एक-1-बी(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, दीपा रंजन जिलाधिकारी, बॉदा अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील /परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बॉदा	पैलानी	खपटिहा कलॉ बॉगर	खपटिहा कलॉ	5-3-ङ बंजर खाता संख्या 2854	1204	2.7960	वृहद गौ संरक्षण केन्द्र निर्माण हेतु।

सं0 39/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्तियों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या-744/एक-1-बी(5)/2016, दिनांक 03 जून, 2016 तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-688/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, दीपा रंजन जिलाधिकारी, बॉदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील /परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या/भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बॉदा	अतर्रा	अतर्रा ग्रामीण	अतर्रा ग्रामीण	5-1 नवीन परती खाता संख्या 3186	188	0.214 में से 0.0900	पाइप्ड पेयजल योजना में अवर जलाशय निर्माण हेतु।

दीपा रंजन,
जिलाधिकारी, बॉदा।

24 जून, 2023 ई0

सं0 77/12-भूमि व्यवस्था–उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधि0 संख्या 8 सन् 2012) की धारा-59 की उपधारा (4) के खण्ड 1(ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2016 के नियम-55 द्वारा प्रस्तुत शक्तियों एवं शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016 लखनऊ दिनांक 03 जून, 2016 के प्राविधानों तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-687/एक-1-2020(5)/2016, दिनांक 06 जुलाई, 2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, दुर्गा शक्ति नागपाल, जिलाधिकारी, बॉदा, अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त दिनांक 03 जून, 2016 के शासनादेश के अनुसार ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेती हूँ–

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील / परगना	ग्राम	ग्राम सभा	खाता संख्या / भूमि की श्रेणी	गाटा संख्या	रकबा	प्रयोजन जिसके लिये भूमि पुनर्ग्रहीत की गयी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							हेक्टेयर	
1	बॉदा	अतर्रा	सिंहपुर माफी	सिंहपुर माफी	1715 बंजर श्रेणी-5-3क	4642	0.6910 में से 0.0350	राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु।

दुर्गा शक्ति नागपाल,
जिलाधिकारी, बॉदा।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां
उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग

प्रारूप-19

नियम-27 का उपनियम (1)

समुचित सरकार / कलेक्टर द्वारा घोषणा

(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)

20 फरवरी, 2024 ई0

सं0 1412 / आठ–वि0भू0अ0अ0 / अमरोहा–उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड–13, गढ़मुक्तेश्वर (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला अमरोहा, तहसील हसनपुर, परगना हसनपुर, ग्राम चकगुलाम अम्बिया, . में स्थित 0.311 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा–11 की उपधारा–(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1218 / आठ–वि0भू0अ0अ0 / अमरोहा / 23 दिनांक 02.02.2023 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक 11.02.2023 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर / असिस्टेट कलेक्टर अमरोहा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा–15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा–19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते है कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची ''क'' में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची ''ख'' में उल्लिखित जिला अमरोहा तहसील-हसनपुर, परगना-हसनपुर, ग्राम-चकगुलाम अम्बिया में स्थित भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देते है कि अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु अमरोहा कलेक्टर को निर्देशित करते है। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची–क
(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	चकगुलाम अम्बिया	35	0.150
				36	0.040
				37	0.031
				38	0.031
				39	0.028
				40	0.031
				कुल . .	0.311

अनुसूची–ख
(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिहिन्त भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर

–विस्थापित परिवारो की संख्या ''शून्य''–

टिप्पणी– उक्त भूमि का स्थल नक्शा अमरोहा के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
अमरोहा।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना
अधिनियम की धारा–19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत

उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड–13, गढ़मुक्तेश्वर (हापुड़) (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु जिला अमरोहा, तहसील हसनपुर, परगना हसनपुर, ग्राम चकगुलाम अम्बिया में स्थित....0.311 हे0 भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या.....दिनांक.....के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
जिलाधिकारी,
अमरोहा।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH

FORM-19

[Sub-rule(1) of rule 27]

PRELIMINARY NOTIFIACTION BY APPROPRIATE GOVERMENT/COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

NOTIFICATION

February 20, 2024

No. 1412/VIII- S.L.A.O/Amroha--Whereas Preliminary notification no. 1218/VIII- S.L.A.O/ Amroha/2023 dated 02.02.2023 was issued Under Sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of a total of 0.311 hectare of land is required in the Village-Chakgulamambia, Pargana-Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water resources Department, Uttar Pradesh, through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Div.-13, Garhmukteshwar (Name of Acquiring body) and lastly published on dated 11.02.2023 The Deputy Collector / Assistant Collector, Amroha was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule 'A' is needed for public purpose and the land to be extent in Village-Chak Gulamambia, Pargana-Hasanpur, Tehsil-Hasanpur, District-Amroha, as given in schedule 'B' has been identied as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under sub section (2) of section 19 of the Act, to divert the Collector of Amroha to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the Declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(Land under proposed Acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectares
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Chakgulamambia	35	0.150
				36	0.040
				37	0.031
				38	0.031
				39	0.028
				40	0.031
				G. Total . .	0.311

Notification of Declaration by Collector
(Under sub-section (2) of section 19 of the act)

By the Order of Declaration made under Government notification no. ..... dated ..... for 0.311 hectare of land is required in the Village Chakgulamambia Pargana – Hasanpur, Tehsil – Hasanpur, District- Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water resources Department, Uttar Pradesh, through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Div.-13, Garhmukteshwar (Name of Acquiring body) and I hereby Published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government Notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:-

Note--The plan of land may be inspected in the office of the Collector Amroha for the purpose of Acquisition.

(*Sd.*) ILLIGIBILE,
District Magistrate,
Amroha.

पी0एस0यू0पी0–5 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2024 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 मई, 2024 ई० (वैशाख 14, 1946 शक संवत्)

भाग 7-ख

इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 03 जनवरी, 2024 ई0 / 13 पौष, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/बागपत/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 50-छपरौली विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-28/61-2022 दिनांक 14 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 50-छपरौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बागपत, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अजय कुमार जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 50-छपरौली से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बागपत, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अजय कुमार को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 13 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अजय कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बागपत द्वारा अपने पत्र संख्या 32/29-निर्वाचन व्यय लेखा-2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी की पत्नी श्रीमती बीना देवी द्वारा दिनांक 21 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, बागपत द्वारा दिनांक 25 अक्टूबर, 2023 के पत्र संख्या 690/29-नि0 व्यय लेखा-2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अजय कुमार ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अजय कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 50-छपरौली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अजय कुमार निवासी म0नं0 23, ग्राम-तिलवाडा पट्टी, पोस्ट-छपरौली, तहसील बड़ौत, जिला-बागपत, उ0प्र0-250617 को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *03rd January, 2024* / *13th Pausha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Baghpat/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 50-Chhaprauli Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 28/61-2022 dated 14th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 50-Chhaprauli Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Baghpat, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Sh. Ajay Kumar, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 50-Chhaprauli Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Baghpat, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 13th December, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Ajay Kumar for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 13th December, 2022, Sh. Ajay Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate's wife Smt. Bina Devi on 21st December, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Baghpat, *vide* its letter no. 32/29-निर्वाचन व्यय लेखा-2022 dated 10 January, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Baghpat in his Supplementary Report, *vide* its letter 69/29-नि0-व्यय लेखा-2022 dated 25 October, 2023 has reported that Sh. Ajay Kumar has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice

of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Ajay Kumar has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Ajay Kumar resident of H. No. 23, Vill.-Tilwara Patti, P.O.-Chhaprauli, Tehsil-Baraut, District-Baghpat, U.P. Pin 250617 a contesting candidate from 50-Chhaprauli Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 02 जनवरी, 2024 ई0 / 12 पौष, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/ललितपुर/2022/सी0ई0एम0एस0-III–**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 226-ललितपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-60/61-2022 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 226-ललितपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार श्री अखिलेश कुमार जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 226-ललितपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए श्री अखिलेश कुमार को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए श्री अखिलेश कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ललितपुर द्वारा अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के पत्र संख्या 497/19-निर्वाचन व्यय/वि0स0सा0नि0-22/2022 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा 30 नवम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ललितपुर द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2023 के पत्र संख्या 582/19-निर्वाचन व्यय/वि0स0सा0नि0-22/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री अखिलेश कुमार ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री अखिलेश कुमार निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 226-ललितपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री अखिलेश कुमार निवासी ग्राम मसौराखुर्द, तहसील व जिला-ललितपुर को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *02nd January, 2024* / *12th Pausha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Lalitpur/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 226-Lalitpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 60/61-2022 dated 25th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 226-Lalitpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Lalitpur, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No.

287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Sh. Akhilesh Kumar a contesting candidate of Uttar Pradesh from 226-Lalitpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Lalitpur, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 11 November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sh. Akhilesh Kumar for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 11 November, 2022, Sh. Akhilesh Kumar was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 30 November, 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Lalitpur, *vide* its letter no. 497 / 19-निर्वाचन व्यय / वि0स0सा0नि0-22 / 2022 dated 19 December, 2022; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Lalitpur in his Supplementary Report, *vide* its letter 582 / 19-निर्वाचन व्यय / वि0स0सा0नि0-22 / 2022 dated 04 March, 2023 has reported that Sh. Akhilesh Kumar has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Sh. Akhilesh Kumar has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sh. Akhilesh Kumar resident of Village-Masorakhurd, Tehsil & District-Lalitpur a contesting candidate from 226-Lalitpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen

as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 02 जनवरी, 2024 ई0 / 12 पौष, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/ललितपुर/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 226-ललितपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-60/61-2022 दिनांक 25 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 226-ललितपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार संजय खान जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 226-ललितपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए संजय खान को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 11 नवम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए संजय खान को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ललितपुर द्वारा अपने दिनांक 19 दिसम्बर, 2022 के पत्र संख्या 497/19-निर्वाचन व्यय/वि0स0सा0नि0-22/2022 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी द्वारा 01 दिसम्बर, 2022 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, ललितपुर द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2023 के पत्र संख्या 582/19-निर्वाचन व्यय/वि0स0सा0नि0-22/2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि संजय खान ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि संजय खान निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 226-ललितपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी संजय खान निवासी मकान नं0 55, सरफयाना, तालबेहट, जिला-ललितपुर को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *02nd January, 2024*
12th Pausha, 1945 (Saka)

ORDER

No. 76/UP-LA/Lalitpur/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 226-Lalitpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was conducting Notification No. 60/61-2022 dated 25th January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 226-Lalitpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Lalitpur, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, Sanjay Khan a contesting candidate of Uttar Pradesh from 226-Lalitpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Lalitpur, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 11 November, 2022 was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to Sanjay Khan for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 11 November, 2022, Sanjay Khan was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by the candidate on 1st December 2022. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the District Election Officer, Lalitpur, *vide* its letter no. 497 / 19-निर्वाचन व्यय / वि0स0सा0नि0-22 / 2022 dated 19 December, 2022; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Lalitpur in his Supplementary Report, *vide* its letter 582 / 19-निर्वाचन व्यय / वि0स0सा0नि0-22 / 2022 dated 04 March, 2023 has reported that Sanjay Khan has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that Sanjay Khan has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares Sanjay Khan resident of 55, Sarafyana, Talbehat, Lalitpur a contesting candidate from 226-Lalitpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

भारत निर्वाचन आयोग

नई दिल्ली, तारीख 03 जनवरी, 2024 ई0 / 13 पौष, 1945 (शक)

आदेश

सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/अमरोहा/2022/सी0ई0एम0एस0-III—**यतः,** उत्तर प्रदेश राज्य की 42-हसनपुर विधान सभा क्षेत्र के साधारण निर्वाचन 2022 अधिसूचना नं0-48/61-2022 दिनांक 21 जनवरी, 2022 के जरिए की गई थी।

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय के अपने लेखे की सही प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को दाखिल करनी होती है; और

यतः 42-हसनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उक्त निर्वाचन का परिणाम 10 मार्च, 2022 को घोषित किया गया था। इस प्रकार, निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने की अन्तिम तारीख 09 अप्रैल, 2022 थी; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रस्तुत संवीक्षा रिपोर्ट और संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा पत्र सं0 287/निर्वाचन व्यय सेल/वि0स0सा0नि0-2022/पत्रा0-01/2021 के जरिए अग्रेषित दिनांक 27 अप्रैल, 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अ0 खालिक जो उत्तर प्रदेश विधान सभा का साधारण निर्वाचन 2022 के निर्वाचन क्षेत्र 42-हसनपुर से लड़ने वाले अभ्यर्थी हैं, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई भी लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा, उत्तर प्रदेश, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की उक्त रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5)

के अंतर्गत निर्वाचन व्यय प्रस्तुत नहीं करने के लिए अ0 खालिक को कारण बताओ नोटिस सं0 76/उत्तर प्रदेश-वि0स0/2022/सी0ई0एम0एस0-III, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 जारी किया गया था; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2022 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए अ0 खालिक को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर लेखा न प्रस्तुत कर पाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए लिखित रूप में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें; और

यतः, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा द्वारा अपने पत्र संख्या 1506/29-वि0स0सा0नि0-2022 दिनांक 03 फरवरी, 2023 के जरिए आयोग को सूचना दी गई की उक्त नोटिस अभ्यर्थी की माता श्रीमती अफरोजी द्वारा दिनांक 01 जनवरी, 2023 को प्राप्त किया गया था; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, अमरोहा द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर, 2023 के पत्र संख्या 445/29-वि0स0सा0नि0-2022 के जरिए प्रस्तुत की गई अनुपूरक संवीक्षा रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अ0 खालिक ने न तो कोई भी अभ्यावेदन और न ही अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग का सम्यक् नोटिस मिलने के उपरांत उक्त विफलता के लिए न तो कोई कारण बताया है और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और,

यतः, आयोग का यह समाधान हो गया है कि अ0 खालिक निर्वाचन खर्चों का लेखा दाखिल करने में विफल रहे हैं और उनके पास इस विफलता के लिए कोई भी उचितकारण अथवा औचित्य नहीं है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है किः–

''यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति–

(क)–निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा हैं; तथा

(ख)–उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा।

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के 42-हसनपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी अ0 खालिक निवासी ग्राम–राधना इनायतपुर, डाक व थाना–किठौर, तहसील–मवाना (मेरठ) को इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित है।

आदेश से,
बिनोद कुमार,
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

आज्ञा से,
नवदीप रिणवा,
प्रमुख सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, dated *03rd January, 2024* / *13th Pausha, 1945 (Saka)*

ORDER

No. 76/UP-LA/Amroha/2022/CEMS-III–WHEREAS, the General Election to 42-Hasanpur Legislative Assembly of Uttar Pradesh, 2022 was announced by Notification No. 48/61-2022 dated 21 January, 2022.

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election has to, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge a true copy of the account of his election expenses with the District Election Officer; and,

WHEREAS, the result of the said election along with 42-Hasanpur Assembly Constituency was declared by the concerned Returning Officer on 10th March, 2022, Hence, the last date for lodging the account of Election Expenses was 09th April, 2022; and,

WHEREAS, as per the scrutiny report submitted by the District Election Officer, Amroha, Uttar Pradesh and forwarded by the Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh *vide* their letter No. 287/Nirvachan Vayy Cell/GE-LA/2022/Patra-01/2021, dated 27th April, 2022, A. Khaliq, a contesting candidate of Uttar Pradesh from 42-Hasanpur Assembly Constituency of Uttar Pradesh, has failed to lodge account of his election expenses, in the manner, as required under law; and,

WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Office, Amroha, Uttar Pradesh and the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, a Show-Cause Notice, 76/UP-LA/2022/CEMS-III dated 14 December 2022, was issued under sub rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to A. Khaliq for not lodging the account of Election Expenses; and,

WHEREAS, As per the sub rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, through the above said Show-Cause Notice, dated 14 December 2022, A. Khaliq was directed to submit his representation in writing with explaining the reasons for not lodging the account and to lodge account of election expenses within 20 days from the date of receipt of the notice; and,

WHEREAS, the said notice was received by Smt. Afrozi mother of the candidate on 01st January, 2023. The acknowledgment receipt has been submitted to the Commission by the Deputy District Election Officer, Amroha, *vide* its letter no. 1506 / 29-वि0स0सा0नि0-2022 dated 03 February, 2023; and,

WHEREAS, the District Election Officer, Amroha in his Supplementary Report, *vide* its letter 445 / 29- वि0स0सा0नि0-2022 dated 20 October, 2023 has reported that A. Khaliq has neither submitted any representation nor any statement of account of election expenses. Further, after receipt of the due notice of the Election Commission of India, he has furnished neither any reason nor explanation for the said failure; and,

WHEREAS, the Commission is satisfied that A. Khaliq has failed to lodge the account of election expenses and has no good reason or justification for the failure,

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that–

"If the Election Commission is satisfied that a person–

(a)-has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b)-has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order";

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares A. Khaliq resident of Village-Radhana Inayatpur, PO & Thana-Kithor, Tehsil-Mawana, (Meerut) a contesting candidate from 42-Hasanpur Assembly Constituency of the State of Uttar Pradesh in the General Election to the Legislative Assembly 2022 to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,
BINOD KUMAR,
Secretary,
Election Commission of India.

By order,
NAVDEEP RINWA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0पी0–5 हिन्दी गजट–भाग 7-ख–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 मई, 2024 ई० (वैशाख 14, 1946 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय नगर पंचायत पाली, जनपद हरदोई

भूमि/भवन स्वकर निर्धारण नियमावली-2024

01 अप्रैल, 2024 ई0

सं0 01/न0पं0पा0/बॉयलॉज/2024–नगर पंचायत पाली सीमान्तर्गत भवन एवं सम्पत्ति गृहकर (स्वकर निर्धारण) उपविधि नियमावली-2024, नगर पालिका अधिनियम की धारा 298 के अर्न्तगत प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत उक्त उपविधि प्रस्तावित करती है। उक्त उपविधि को नगर पालिका अधिनियम की धारा 131(3) 132, 133 व 301 के प्रविधानों के अनुसार जनमानस के आपत्ति व सुझाव हेतु आमंत्रित किये जाने हेतु सार्वजनिक रूप में दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण एवं राष्ट्रीय साहारा में इस कार्यालय के पत्र संख्या 481/न0पं0पा0/2023-24 दिनांक 18 जनवरी, 2024 के द्वारा प्रकाशन कराया गया है। उक्त नियमावली के किसी प्राविधान से किसी व्यक्ति प्रतिष्ठान या विज्ञापनकर्ता अथवा अन्य जो कोई इस " भवन एवं सम्पत्ति गृहकर (स्वकर निर्धारण) उपविधि नियमावली-2024" से प्रभावित हो, वह प्रकाशन की तिथि से 21 दिन (08 फरवरी, 2024 तक) के अन्दर सभी या किसी प्रस्ताव के बारे में नगर पंचायत पाली, हरदोई को लिखित रूप से अपनी आपत्ति व सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। आपत्ति या सुझाव कार्यालय दिवस में कार्य के समय प्रस्तुत करना होगा। उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर विचार नही किया जायेगा। उक्त निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति/सुक्षाव प्राप्त नहीं हुये हैं। तत्क्रम में बोर्ड बैठक दिनांक 05 मार्च, 2024 के प्रस्ताव संख्या 03 के द्वारा नगर पंचायत पाली अर्न्तगत उक्त नियमावली के गजट प्रकाशन हेतु बोर्ड सदस्यों द्वारा सर्वसम्मिति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। जो कि गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगीं।

1– शीर्षक–यह नियमावली नगर पंचायत पाली, हरदोई ''भवन एवं सम्पत्ति कर स्वकर निर्धारण नियमावली'' नियमावली, वर्ष 2024 कहलायेगी।

2– प्रकृति–यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से या नगर पंचायत पाली, हरदोई समिति/विहित प्राधिकारी की स्वीकृति से सीमा में प्रभावी होगी।

3– परिभाषायें–जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916 एवं उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2011) से है।

(ख) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य नगर पंचायत पाली, हरदोई के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) ''बोर्ड/समिति'' का तात्पर्य नगर पंचायत पाली जनपद-हरदोई के बोर्ड/समिति से है।

(घ) ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य नगर पंचायत पाली, जनपद-हरदोई के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/प्रशासक से है।

(ड) ''नगर पंचायत'' से तात्पर्य नगर पंचायत पाली, हरदोई से है।

(च) ''नगर पंचायत की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) ''भवन/भूखण्ड'' का तात्पर्य नगर पंचायत की सीमा में स्थित भवनों/गृहों/भूखण्डों आदि से होगा अर्थात् वह सभी अहाते उपघर आदि तथा यदि एक परिसर में कई भवन स्थित है, तो इसे परिसर के सभी भवनों को भूमि सहित भवन कहा जायेगा।

(ज) ''कर अधीक्षक/कर निरीक्षक'' का तात्पर्य नगर पंचायत पाली जनपद-हरदोई के कर अधीक्षक/कर निरीक्षक करसमाहर्ता से है–

1– उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2011 उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम 2011 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अधिनियम 2011 कहा जायेगा।

2– (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-2 सन् 1916 की धारा-128 का प्रतिस्थापन) उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-128 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्–

(आरोपित किये जाने वाले कर) ''128 (1) इस अधिनियम तथा 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 285 के उपबंधो के अधीन रहते हुये नगर पालिका निम्नलिखित कर आरोपित करेगी, अर्थात्–

(एक) भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर,

(दो) भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर जलकर

(तीन) भवनों के वार्षिक मूल्य पर जल निकास कर, जो ऐसे भवन पर उद्ग्रहणीय हो, जो निकटतम सीवर लाइन से प्रत्येक नगर पंचायत के लिये इस निमित्त नियमों द्वारा निर्धारित की जाने वाली दूरी के भीतर स्थित हो,

(चार) शौचालयों, मूत्रालयों और मलकुंडों से मलजनित और प्रदूषित पदार्थो का संग्रहण करने, हटाने और निस्तारण करने के लिये सफाई कर (2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट करों के अतिरिक्त नगर पालिका, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये और उसके उपबन्धों के अधीन रहते हुये, निम्नलिखित में से कोई कर अधिरोपित कर सकती है, अर्थात्–

(एक) ऐसे व्यापार और आजीविका पर कर, जो नगर पंचायत की सीमाओं के भीतर किये जाते हों, और जिन्हें नगर पंचायत सेवाओं से विशेष लाभ हो रहा हो, या जिनसे उक्त सेवाओं पर विशेष भार पड़ रहा हो।

(दो) ऐसे व्यापार, आजीविका और व्यवसाय पर कर, जिनमें ऐसे सभी सेवायोजन भी सम्मिलित हैं, जो वेतन या फीस के रूप में पारिश्रमिक दिया जाता है।

(तीन) नाट्यशाला कर, जिसका तात्पर्य विनोद या आमोद का कर है।

(चार) नगर पंचायत के भीतर रखे गये कुत्तों पर कर।

(पाँच) सफाई कर

(छः) नगर पंचायत की सीमाओं के भीतर स्थित स्थावर सम्पत्तियों के अन्तरण विलेखों पर कर।

(सात) विज्ञापनो पर कर, जो समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन न हों।

(आठ) नगर पंचायत की सीमा के भीतर चलाये जाने वाले यानों और अन्य वाहनों या उसकी सीमा में बाँधी जाने वाली नावों पर कर।

(नौ) सुधार कर।

(3)– नगर पंचायत करों का निर्धारण और उद्ग्रहण इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गये नियमों व उपविधियों के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा।

(4)– इस धारा की कोई बात किसी ऐसे कर के अधिरोपण का प्राधिकार न देगी, जिसके लिये राज्य विधान मण्डल को संविधान के अधीन राज्य में अधिरोपित करने की शक्ति न होगी, प्रतिबन्ध यह है कि कोई नगर पंचायत जो संविधान के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व तत्समय प्रवृत्त इस धारा के अधीन कोई ऐसा कर विधिपूर्वक उद्गृहीत कर रही थी, उस कर का उद्ग्रहण जारी रख सकती है, जब तक कि संसद द्वारा इसके प्रतिकूल उपबन्ध न बनाया जाये।

3– (धारा 129 का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 129 में, शब्द और अंक 'उपधारा (1) के खण्ड (दस) के स्थान पर शब्द और अंक 'उपधारा (1) के खण्ड (दो) रख दिये जायेंगे।

4– (धारा 129-क का बढ़ाया जाना) मूल अधिनियम की धारा-129 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् (भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर उद्ग्रहण) 129-क भवनों या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर का उद्ग्रहण नगर पंचायत सीमा में, स्थित निम्नलिखित को छोड़कर, समस्त भवनों और भूमि के सम्बन्ध में किया जायेगा–

(क) मृतकों के निस्तारण से सम्बन्धित प्रयोजनों के लिये अनन्य रूप से प्रयुक्त भवन या भूमि,

(ख) शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी विद्यालय, धार्मिक या धर्मार्थ प्रांगण कर मुक्त रहेंगे, परन्तु यदि (क)इनका उपयोग शैक्षणिक धर्मार्थ कार्य से विरत रहकर अन्य व्यवसायिक कार्य तथा शादी-बारात समारोह आदि के प्रयोग में लाने हेतु इसकी स्वीकृति सम्बन्धित संस्थाओं के संस्थापकों द्वारा नगर पंचायत पाली से लेनी होगी, इस आशय का एक रजिस्टर सम्बन्धित संस्थान को रखना होगा। जिसका अवलोकन संस्थाओं द्वारा नगर पंचायत को प्रत्येक दशा में कराना होगा। इससे होने वाली आय का 12.5 प्रतिशत धनराशि शिक्षेत्तर कार्य हेतु प्रयुक्त होने के लिए कर/शुल्क के रूप में जमा करना होगा।

(ग) प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 में यथा परिभाषित प्राचीन संस्मारक, जो किसी ऐसे संस्मारक के सम्बन्ध में राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्यधीन हों,

(घ) भारत संघ में निहित भवन और भूमि, सिवाय वहाँ के जहाँ भारत का संविधान के अनुच्छेद 285 के खण्ड (2) के उपबन्ध लागू होते हों,

(ङ) किसी स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा आवासिक भवन, जो तीस वर्ग मीटर के माप वाले या पन्द्रह वर्ग मीटर तक के कारपेट क्षेत्रफल वाले भूखण्ड पर निर्मित हो, परन्तु उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन न हो और,

(च) किसी स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसा आवासिक भवन, जो तीस वर्ग मीटर के माप वाले या पन्द्रह वर्ग मीटर तक के कारपेट क्षेत्रफल वाले भूखण्ड पर निर्मित हो, परन्तु उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पालिका सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन न हो और,

(छ) भवन स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन, जो ऐसे क्षेत्र में स्थित हो जिसे पाँच वर्ष के भीतर सम्मिलित कर लिया गया हो या जहाँ उस क्षेत्र में सड़क, पेयजल और मार्ग प्रकाश की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी हो, इसमें से जो भी पहले हो।

5– (धारा 130 का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 130 में शब्द और अंक उपधारा-(1) के खण्ड (ग्यारह) या (बारह) के स्थान पर शब्द और अंक 'उपधारा (1) के खण्ड (चार) या उपधारा (2) के खण्ड (छः)' रख दिये जायेंगे।

6–(धारा 130-ख का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 130 ख में शब्द और अंक उपधारा (1) के खण्ड (दस) (दस-क) (ग्यारह) और (बारह) के स्थान पर शब्द और अंक उपधारा (1) के खण्ड (2), (तीन), (चार) और उपधारा (क) के खण्ड (छः) में रख दिये जायेंगे।

7–(धारा-131 का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 131 में, उपधारा (1) में, खण्ड (क) में शब्द और अंक 'उपधारा (1)' के स्थान पर शब्द और अंक 'उपधारा (2)' में रख दिये जायेंगे।

8–(धारा 133 का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 133 में, उपधारा (1) में शब्द और अंक 'यदि प्रस्तावित कर धारा 128 की उपधारा (1) के खण्ड (एक) से (बारह) के अन्तर्गत हों' के स्थान पर शब्द पूर्ववर्ती धाराओं के अधीन प्रस्तावों और आपत्तियों की प्राप्ति पर' रख दिये जायेंगे।

9–(धारा 138 का संशोधन) मूल अधिनियम की धारा 138 में, उपधारा (1) में, शब्द और अंक 'उपधारा (1) के खण्ड (एक), (दस) और (ग्यारह)' के स्थान पर शब्द और अंक उपधारा (1) के खण्ड (एक) और (दो) और उपधारा (2) के खण्ड (छः) रख दिये जायेंगे।

10–(धारा 140 का प्रतिस्थापन) मूल अधिनियम की धारा 140 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्– '140-(1) 'वार्षिक मूल्य' का तात्पर्य-(वार्षिक मूल्य की परिभाषा) (क) रेलवे स्टेशनों, कालेजों, स्कूलों, होटलों, कारखानों, वाणिज्यिक भवनों और अन्य अनावासिक भवनों की दशा में, यथास्थिति, भवन के आच्छादित क्षेत्र या भूमि के खुले क्षेत्र या दोनों के साथ खण्ड (ख) के अधीन नियत आवासिक भवनों के प्रति वर्ग फुट मासिक किराये की दर से नियमों द्वारा नियत किये जाने वाले, गुणक से गुणा करने पर प्राप्त व 12 गुना मूल्य से है।

(ख) खण्ड (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत न आने वाले किसी भवन या भूमि की दशा में, यथास्थिति, भवन की दशा में प्रति वर्ग फुट कारपेट क्षेत्रफल पर लागू न्यूनतम मासिक किराया दर भवन के कारपेट क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल से गुणा किये जाने पर आये 12 गुना मूल्य से है और इस प्रयोजन के लिये प्रति वर्ग फुट न्यूनतम मासिक किराया दर इस प्रकार होगी जैसी कि नगर पंचायत. के अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में एक बार भवन या भूमि की अवस्थिति, भवन निर्माण की प्रकृति, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा नियत सर्किट दर के आधार पर नियत किया जाय और ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्रफल के चालू न्यूनतम किराया दर और ऐसे अन्य कारक इस प्रकार होंगे जैसे विहित किये जायेंगें एवं नगर पंचायत सीमान्तर्गत सभी वार्डो के लिये दर निम्न लिखित होगीं।

क्र0 सं0	वार्ड संख्या	24 मी0 से अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			12 मी0 से 24 मी0 तक चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			3 मी0 से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भवन			आवासीय भूखण्ड जिसमें मकान न बना हो।
		आर0सी0 सी0 छत सहित अच्छा पक्का मकान	अन्य पक्का मकान	कच्चा भवन (खपरैल/टीन शेड)	आर0सी0 सी0 छत सहित अच्छा पक्का मकान	अन्य पक्का मकान	कच्चा भवन (खपरैल/टीन शेड)	आर0सी0 सी0 छत सहित अच्छा पक्का मकान	अन्य पक्का मकान	कच्चा भवन (खपरैल/टीन शेड)	
1	2	3	4	5	6	7	8	12	13	14	15
						–रुपये–					
1	वार्ड संख्या 01 से 15 तक	2.5	2	1.5	1.5	1.3	1	0.80	0.50	0.30	0.50

प्रतिबन्ध यह है कि जहाँ नगर पंचायत की राय में असाधारण परिस्थितियों के कारण किसी भवन का वार्षिक मूल्य, यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गयी हो, अत्यधिक हो,वहां नगर पंचायत किसी भी कम धनराशि पर जो उसे साम्यापूर्ण प्रतीत हो, वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है। स्पष्टीकरण-एक-वार्षिक मूल्य की गणना के प्रयोजन के लिये कारपेट क्षेत्र की गणना निम्न में से की जायेगी–

(एक) कक्ष-आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप

(दो) आच्छादित बरामदा-आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप,

(तीन) बालकनी, गलियारा, रसोईघर और भण्डार गृह-आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप,

(चार) गैराज-आन्तरिक आयामम की एक चौथाई माप,

(पाँच) स्नानागार, शौचालयों, द्वार मण्डल और जीना से आच्छादित क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल का अंग नहीं होगा।

स्पष्टीकरण-दो-उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किरये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम 1972 के प्रयोजनों के लिये किसी भवन का मानक किराया, अनुबन्धित किराया या युक्ति युक्त वार्षिक किराये को भवन के वार्षिक मूल्य की गणना करते समय हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

(2) जहाँ नगर पालिका इस प्रकार संकल्प करें वहाँ सम्पत्ति करों के निर्धारण के प्रयोजन के लिये वार्षिक मूल्य (क) भूमि और स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन, जो दस वर्ष से अधिक पुराना हो, के मामले में 25 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह दस वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो 30 प्रतिशत कम समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्श से अधिक पुराना हो तो उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से 40 प्रतिशत कम समझा जायेगा।

(ख) किराये पर दिये गये आवासिक भवन, जो 10 वर्ष से अनधिक पुराना हो, के मामले में 25 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 10 वर्ष से अधिक पुराना हो किन्तु 20 वर्ष से अधिक पुराना न हो तो उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य से 12.5 प्रतिशत अधिक समझा जायेगा और यदि वह 20 वर्ष से अधिक पुराना हो जो उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित वार्षिक मूल्य के बराबर समझा जायेगा।

(ग) यदि आवासीय भवन का कोई भाग व्यवसायिक प्रयोग में है, तो उसका कर निर्धारण व्यवसायिक उपयोग में स्थित भाग का वास्तविक किराया अथवा उक्त क्षेत्र में लागू आवासीय दर की पाँच गुना दरें लागू होंगी।

(घ) औद्योगिक प्रतिष्ठानों (इण्डस्ट्रीज) के कर निर्धारण हेतु उक्त क्षेत्र में लागू वास्तविक मासिक किराये का तीन गुना कवर्ड एरिया पर तथा खाली जमीन पर सामान्य आवासीय दरें लागू होंगी, परन्तु 30 फीट से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित इण्डस्ट्रीज की प्रति वर्ग फीट मासिक किराया दर रु0 5/– (कवर्ड एरिया) से कम न होगी तथा 30 फीट से अधिक चौड़ी सड़क तथा स्थित इण्डस्ट्रीज की भूमि की प्रति वर्ग फीट मासिक किराया दर रु0 2/– से कम न होगी।

(ङ) यदि आवासीय भवन का कोई भाग किराये पर दिया गया है, तो उसका कर निर्धारण स्पष्टीकरण 2(ख) के अनुसार किया जायेगा, परन्तु यदि किराये की दर इस बिन्दु में वर्णित मूल्य से अधिक है, तो उस भाग का कर निर्धारण किराये के आधार पर किया जायेगा।

(च) आकस्मिक कर निर्धारण वर्तमान वित्तीय वर्ष से लागू माना जायेगा, चाहे आकस्मिक कर निर्धारण की नोटिस वर्तमान वित्तीय वर्ष से किसी भी माह में जारी की जाय।

11– (धारा 141 का प्रतिस्थापन) मूल अधिनियम की धारा 141 के स्थान पर निम्न धाराएँ रख दी जायेंगी, अर्थात्– (कर निर्धारण सूची का तैयार किया जाना)

141–नगर पंचायत या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कार्यपालक अधिकारी, नगर पंचायत क्षेत्र या उसके भाग में नियमावली में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय-समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करवायेगा।' (स्वनिर्धारण द्वारा भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर जमा करने का विकल्प)

141—क-इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी किसी भवन के सम्बन्ध में कर भुगतान के लिये प्राथमिक रूप से उत्तरदायी स्वामी या अध्यासी अपने द्वारा संदेय सम्पत्ति कर की धनराशि के सम्बन्ध में प्रतिवर्ष अपनी देनदारी का निर्धारण स्वयं कर सकता है और ऐसा करने में वह धारा 140 के उपबन्धों के अनुसार भवन के वार्षिक मूल्य का अवधारण स्वयं कर सकता है और अपने द्वारा इस रीति से इस प्रकार निर्धारित कर के साथ ऐसे स्वनिर्धारण विवरण ऐसे प्रपत्र में जैसा कि विहित किया जाय, जमा कर सकता है।

(कर निर्धारण के लिये भवनों या भूमि के विवरणों का प्रस्तुत किया जाना)

141—ख-1-वार्षिक किराया मूल्य के प्रयोजनों के लिये प्रत्येक भवन व भूमि का स्वामी या अध्यासी उस दिनांक तक उसकी विवरणी प्रस्तुत करेगा जैसा कि विहित किया जाय।

(2) बिना समुचित कारण के उपधारा (1) मे विनिर्दिष्ट विवरणी को प्रस्तुत करने में विफल कोई व्यक्ति यथा विहित शास्ति का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट शास्ति का प्रशमन अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। (धारा 142 का प्रतिस्थापन)

12— मूल अधिनियम की धारा 142 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्— (सूची का प्रकाशन)

'142—नगर पालिका या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी नियमावली में विहित रीति के अनुसार धारा-141 के अधीन तैयार की गयी सूची को प्रकाशित करेगा।' (धारा 143 का प्रतिस्थापन)

13— मूल अधिनियम की धारा 143 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्— (प्रस्तावित दरों और सूची पर आपत्तियाँ) '143-नगर पंचायत का इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी नियमावली में विहित रीति के अनुसार आपत्तियों का निस्तारण करेगा।' (धारा 144 का प्रतिस्थापन)

14— मूल अधिनियम की धारा 144 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्— (सूची का अभिप्रमाणीकरण और उसकी अभिरक्षा)

'144—अधिशासी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, नगर पालिका क्षेत्र या उसके किसी भाग के क्षेत्रवार किराया दरों और निर्धारण सूची को अपने हस्ताक्षर के अभिप्रमाणित करेगा।

(2) इस प्रकार अभिप्रमाणित प्रत्येक सूची को नगर पंचायत के कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(3) जैसे ही सम्पूर्ण नगर पंचायत क्षेत्र की सूची इस प्रकार जमा कर दी जाय वैसे ही निरीक्षण हेतु खुले होने के लिए सार्वजनिक सूचना द्वारा इसकी घोषणा की जायेगी। (धारा 147 का संशोधन)

15— मूल अधिनियम की धारा 147 में शब्द 'नगर पंचायत' जहाँ कहीं आये , के स्थान पर शब्द 'नगर पंचायत या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी रख दिये जायेंगे। (धारा 149 का संशोधन)

16— मूल अधिनियम की धारा 149 में उपधारा (3) में शब्द 'नगर पंचायत' के स्थान पर शब्द 'नगर पंचायत या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिशासी अधिकारी' रख दिये जायेंगे।

17— जलकर की दरें—

(क) नगर पंचायत द्वारा स्वकर प्रणाली के अन्तर्गत निर्धारण वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत जलकर देय होगा।

(ख) निर्धारित वार्षिक मूल्य जलकर अधिरोपण अधिनियम की धारा-129 के निर्बन्धन के अधीन रहते हुए लगाया जायेगा तथा समय-समय पर शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

(ग) अधिनियम की धारा 129 (3) के अनुसार जलकर अधिरोपण हेतु नगर पंचायत पाली, हरदोई के लिये विहित अर्द्धव्यास 200 मीटर निर्धारित होगा।

18— अन्य प्राविधान—

1–(क)-अधिनियम की धारा 140(1) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में इस नियमावली की धारा-3 में विभिन्न समूहों के मासिक किराया प्रति वर्ग फुट की दरें संशोधित की जायेगी।

(ख)– अधिनियम की धारा 141 के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी/कर निर्धारण अधिकारी नगर पालिका क्षेत्र व उसके भाग में विहित रीति के अनुसार क्षेत्रवार समय-समय पर किराया दर और कर निर्धारण सूची तैयार करवायेगा।

(ग)– अधिनियम की धारा 141ख (1) के अन्तर्गत अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जो तिथि नियत की जायेगी उस समय सीमा के भीतर प्रत्येक भूमि/भवन के स्वामी या अध्यासी को वार्षिक मूल्य निर्धारण हेतु विहित प्रक्रियानुसार विवरण-पत्र क तथा ख प्रस्तुत करना होगा।

(घ)– अधिनियम की धारा 141 ख (2) के अन्तर्गत प्रपत्र में दर्शाई गयी कोई सूचना/विवरण मिथ्या पाये जाने पर या किसी तथ्य को छिपाने पर आवेदक रू0 1000 के न्यूनतम अर्थदण्ड का भागीदार होगा। भवन में छत पड़ जाने, भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा अध्यासन करने या भवन को किराये पर उठाने के दिनांक से 60 दिन के भीतर कर निर्धारण हेतु प्रपत्र-क भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है, अन्यथा 50 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल के सम्बन्ध में रू0 100/–, 200/– वर्ग मीटर तक के लिये रू0 1,000/– तथा 400 वर्ग मीटर तक के क्षेत्रफल हेतु रू0 5,000/– से 15,000/– तक अर्थदण्ड देय होगा साथ ही 30 दिन से अधिक विलम्ब की स्थिति में उक्तानुसार देय अर्थदण्ड का 05 प्रतिशत विलम्ब शुल्क भी देय होगा। किसी भी आपत्तिकी स्थिति में अधिशासी अधिकारी का निर्णय मान्य होगा।

(ङ)– अधिनियम की धारा 141 ख (13) के प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अधिनियम की धारा-141ख (2) के अन्तर्गत लगाये गये शास्ति (दण्ड) पर अधिशासी अधिकारी सर्वोतम विवेकानुसार प्रशमन की कार्यवाही कर सकते है।

(च)– सेवारत/सेवानिवृत्ति सैन्य कर्मचारियों/विकलांगो/अन्धे व्यक्तियों द्वारा स्वंय के उपयोग हेतु प्रयुक्त भवन एवं भवन का सामान्य कर शासनादेश के अधीन होगा।

(छ)– पेट्रोल पम्पों पर, गृहकर शासनादेशों के अनुसार परिवर्तनीय होगा, वर्तमान में उस परिसर में बनी सभी गैर आवासीय/व्यवसायिक भवनों का मूल्यांकन गृहकर का आरोपण सामान्य व्यवसायिक भवनों के अनुरूप किया जायेगा।

(ज)– भवन के नवनिर्माण/परिवर्धन/परिवर्तन की दशा में 15 दिनों के अन्दर नगर पंचायत को लिखित रूप से सूचित करना होगा,अन्यथा की दशा में उस वर्ष का पूर्ण गृहकर लागू होगा। (न0प0अधि0 1916 धारा-148)

(झ)– अधिरोपित करों की वसूली विशेष परिस्थितियों में अध्यासी से भी की जा सकेगी। जिसका समायोजन अध्यासी भवन स्वामी से कर सकेगा।

(ञ)– उपरोक्त नियमावली/उपविधियों परिपेक्ष्य में शासनादेश जो समय-समय पर निर्गत होंगे, मान्य होंगे अन्यथा की दशा में नगर पालिका अधि0 की धारा 299 प्रभावी होगी।

प्रपत्र कब भरना होगा–

2–क–जब किसी भवन स्वामी द्वारा अध्यासित को किराये पर दिया गया हो या किराये से वापस अपने अध्यासन में किया गया हो, इसके तीन सप्ताह के भीतर प्रपत्र-क में ही पुनः विवरण प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

ख–जब किसी भवन के कारपेट एरिया या भूमि का क्षेत्रफल या दोनों में परिवर्तन अथवा परिवर्धन किया जाता है जो उसके तीन सप्ताह के भीतर यथास्थिति भवन/भू स्वामी द्वारा अथवा अध्यासित द्वारा प्रपत्र में विवरण भरना अनिवार्य होगा।

19– वसूली प्रक्रिया तथा बिल/नोटिस तामील–

1–(क) अधिनियम की धारा-166, 168, 169, 173 (क) में निहित प्रक्रिया के अनुसार देय धनराशि की वसूली की जायेगी।

(ख) इस धारा के खण्ड (क) तथा इस उपविधि में वर्णित किसी भी प्रकार के बिल/सूचना नोटिस का तामील अधिनियम की धारा-303 तथा 304 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

(ग) इस धारा के खण्ड (क) तथा (ख) के अतिरिक्त करों की वसूली तथा सूचना नोटिसों के तामीला में अन्य कार्यवाही नगर पंचायत पाली, हरदोई के अधिनियम, 1916 की विभिन्न धाराओं में दिये गये प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

(घ) कर अग्रिम रूप से प्रतिवर्ष एक किस्त में 01 अप्रैल से देय होगा। इच्छुक व्यक्ति कर की धनराशि का भुगतान अग्रिम रूप से जमा कर सकते है।

(ङ) अग्रिम रूप में जमा की गयी धनराशि अथवा करों संबंधी किसी विवाद के निस्तारण के पश्चात् अधिक जमा धनराशि की वापसी किसी दशा में नहीं की जायेगी। उक्त धनराशि का समायोजन अगले वित्तीय वर्ष में किया जायेगा।

2–(क) मांग बिल का पूर्ण भुगतान बिल प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर करना होगा जिसमें समयसीमा के अन्तर्गत भुगतान करने पर वित्तीय वर्ष की राशि पर 30 जून तक भवन कर एवं जलकर में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी, 30 जून के पश्चात् किसी प्रकार की छूट प्रदान नहीं की जायेगी।

(ख) वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर (31 मार्च तक) करो का भुगतान न होने की दशा में गत वर्ष की गृहकर/जलकर की चालू मांग पर 10 प्रतिशत सरचार्ज देय होगा, जो 01 अप्रैल से लागू होगी।

(ग) किसी भवन/भूमि के निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन पर लगाये गये करों का भुगतान यदि भवन स्वामी द्वारा नहीं किया गया जाता है, तो अधिनियम की धारा 149 के अनुसार भुगतान का दायित्व वास्तविक अध्यासी/किरायेदार का होगा जिसका समायोजन भुगतानकर्ता वास्तविक भवन स्वामी को दिये जाने वाले किराये में कर सकेगा। धारा-149 के सम्बन्ध में सम्पूर्ण निर्णय लेने का अधिकार अधिशासी अधिकारी का होगा।

(घ) वार्षिक मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कोई प्रकरण निस्तारण हेतु नगर पंचायत कार्यालय में लम्बित रहने की दशा में विशेष परिस्थितियों में अधिशासी अधिकारी सर्वोत्तम विवेकानुसार सरचार्ज में छूट प्रदान कर सकते है।

20–(क) अधिनियम की धारा-145(1) के अनुसार कर निर्धारण सूची का पुनरीक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में धारा-140 से 144 तक में विहित रीति के अनुसार किया जायेगा।

(ख) अधिनियम की धारा 148(1) के प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक भवन स्वामी सूचना देते हुये बाध्य होगा।

(ग) अधिनियम की धारा 158 (1) के प्राविधानों के अनुसार नगर पंचायत पाली के अनुसार किसी भवन स्वामी/अध्यासी या निवासी से कर निर्धारण अथवा धारा-147(1) के अन्तर्गत कर निर्धारण सूची में किसी परिवर्तन या संशोधन हेतु कोई सूचना लिखित रूप से किसी अवधि में कर अधीक्षक/अधिशासी अधिकारी द्वारा मांगी जा सकती है।

(घ) इस धारा के खण्ड (ख) तथा (ग) के अन्तर्गत नगर पंचायत का कोई भवन स्वामी/अध्यासी या निवासी सूचना देने में असफल रहता है या त्रुटिपूर्ण अथवा भ्रामक सूचना देता है तो अधिनियम की धारा 158 (2) के अनुसार कर अधीक्षक या जैसी स्थिति हो की अख्यानुसार अधिशासी अधिकारी अपने सर्वोत्तम विवेकानुसार कोई भी निर्णय ले सकेगा।

21–**कर मुक्त तथा छूट–**

(क) अधिनियम की धारा 129-क के खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) तथा खण्ड (छ) के अन्तर्गत आने वाले भूमि/भवनों अथवा दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर के उद्ग्रहण में नियमानुसार छूट देय होगी।

(ख) नगर पंचायत पाली, हरदोई के ऐसे भवन एवं भूमि जो नगर पंचायत के स्वयं के प्रयोग में होंगे कर मुक्त रहेंगे।

(ग) अधिनियम की धारा 151 के अन्तर्गत अनध्यासन के कारण पूर्ण अथवा आंशिक छूट तभी प्रदान की जायेगी जब अनध्यासन की सूचना लिखित रूप में नियमानुसार नगर पालिका परिषद कार्यालय को प्राप्त करायी गयी हो।

(घ) इस धारा के खण्ड (ग) के अधीन छूट प्राप्त भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा यदि अधिनियम की धारा 152(1) के अन्तर्गत पुनः अध्यासन की सूचना नहीं दी जाती हैं, तो दोष सिद्ध ठहराये जाने पर अधिनियम की धारा 152(2) के अन्तर्गत पुनः अध्यासन के दिनांक से निर्धारण देय कर की दस गुनी धनराशि या पचास रूपये दोनों में जो अधिक हो के जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो अधिशासी अधिकारी के निर्णय के अधीन होगा।

(ङ) अधिनियम की धारा-157 के प्राविधानों के अनुसार छूट प्रदान किया जाना बोर्ड के अधीन होगा।

22– **विशेष छूट/प्रोत्साहन–**

मोबिलाइज द अर्थ विचारधारा के अन्तर्गत पर्यावरण संरक्षण के साथ न्यूनतम दोहन व अधिकतम उपभोग तथा सम्पोष्षणीय विकास की अवधारणा से परिचयात्मक स्तर पर जन सरोकारों से जोड़ने के लिए नगर पंचायत पाली भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन में स्थानीय स्वायत्व निकायों के अध्याय-9(क) अनुच्छेद 12 अन्तर्गत अधिसूचित 18 विषयों में से शहरी वानिकी एवं पर्यावरण तथा प्राकृतिक जल संसाधनों के अधिकतम संचयन एवं न्यूनतम दोहन को स्वीकार करते हुए शहरी वानिकी एवं पर्यावरण तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को संरक्षित/प्रोत्साहित करने के लिए करों में निम्नलिखित छूट का प्रावधान करती है–

1– भवन स्वामी के अनाच्छादित क्षेत्रफल पर न्यूनतम 10 पेड़ लगे होने पर जिसकी ऊँचाई कम से कम 10 फिट हो तथा पेड़/पौधा स्वस्थ हो तो 03 प्रतिशत छूट स्वकर निर्धारण पर देय होगी। यह छूट इन पेड़/पौधों के रख-रखाव पर भवन स्वामी द्वारा खर्च किया जायेगा।

2– ऐसे भू-खण्ड जो इस नियमावली द्वारा कर अधिरोपण की श्रेणी में हैं उस भू-खण्ड पर कम से कम 50 पेड़ जो कम से कम 10 फिट ऊँचाई में हो उस पर अधिरोपित कर का 10 प्रतिशत छूट देगी।

3– ऐसे भवन स्वामियों को जो वर्षा जल के संचयन हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाकर अधिकतम जल का प्राकृतिक संचयन करेंगे, उनके भवन पर अधिरोपित कर पर 02 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। यह समस्त छूटें जो क्रम सं0 01, 02 व 03 में उल्लिखित हैं, वार्षिक छूट की श्रेणी में आयेगी।

23– **नामान्तरण तथा करों में संशोधन की प्रक्रिया धारा 147 के अन्तर्गत–**

(क) अधिनियम की धारा 147 (1) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण सूची में किया जाने वाला संशोधन जो किसी करारोपित भवन/भूमि पर निर्धारण करों की वसूली में आवश्यक हो गया हो उसकी लिखित सचूना (साक्ष्य सहित) निर्धारित प्रपत्र पर नगर पंचायत कार्यालय को प्राप्त कराना सम्बन्धित भवन स्वामी को धारा 148(1) के अन्तर्गत अनिवार्य होगा।

(ख) यदि किसी करारोपित भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों का यह दायित्व होगा कि स्वामित्व सम्बन्धी सम्पूर्ण साक्ष्यों के साथ जो यह सिद्ध करता हो कि आवेदक का वास्तविक स्वामी हो। तीन मास (90 दिन) के भीतर लिखित रूप से निर्धारित फार्म पर आवेदन-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

(ग) इस धारा के पूर्ववर्ती खण्ड (ख) के अतिरिक्त वसीयतनामा, बैनामा, न्यायालय के निर्णय या अन्य किसी आधार पर नामान्तरण/संशोधन की कार्यवाही सुसंगत नियमों के अनुसार की जायेगी नामान्तरण/संशोधन की कार्यवाही किन्हीं कारणों से लम्बित रहने की शर्त पर कर का भुगतान लम्बित नहीं रखा जायेगा।

(घ) दाखिल खारिज अथवा धारा 147 (1) में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी तब तक आवेदक के द्वारा सम्बन्धित भवन का बकाया सम्पूर्ण करों का भुगतान न कर दिया जाय। प्रत्येक दशा में बकाया करों का भुगतान का दायित्व किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने वाले का होगा।

(ङ) किसी भवन/भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 147(1) के प्राविधानों के अनुसार संशोधन सम्बन्धी कोई कार्यवाही किये जाने के पूर्व अधिनियम की धारा 147(2) की 30 दिन की नोटिस जारी करना अनिवार्य होगा।

24– किसी भवन/भूमि के स्वामित्व/अध्सासन अथवा कर निर्धारण/कर संशोधन संबंधी विवाद होने की दशा विवाद का निस्तारण अधिनियम की धारा 143 तथा 147 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नगर पालिका या अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा। उपरोक्तानुसार लिया गया निर्णय किसी सक्षम न्यायालय से अन्य कोई विपरीत आदेश होंगे तक प्रभावित रहेगा।

25– **नामान्तरण शुल्क/विलम्ब शुल्क**– नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 147(1) के अन्तर्गत किये गये कोई भी नामान्तरण (दाखिल-खारिज) प्रार्थना-पत्र नगर पंचायत पाली, हरदोई द्वारा निर्धारित फार्म पर ही स्वीकार किये जायेंगे। कर निर्धारण सूची में अंकित स्वामित्व के संशोधन हेतु ऐसे प्रार्थना पत्र को हिबानामा/वसीयत/वरासतन एवं न्यायालय से जारी निर्देशों के आधार पर प्रस्तुत किये जायेंगे। उन पर आवेदक के नामान्तरण (दाखिल-खारिज) शुल्क सरकारी मालियत एवं पंजीकृत बैनामा जो भी अधिक हो पर निम्न प्रकार देय होगा–

क– **विलेख निष्पादन**

अ– रु0 1 से 1,00,000 तक रु0 1,000।

ब– रु0 1,00,000 से या इससे ऊपर प्रति लाख रु0 1,000। अर्थात् सरकारी मालियत एवं पंजीकृत बैनामा जो भी अधिक हो का एक प्रतिशत।

ख– **विलेख के अतिरिक्त सरकारी मलियत के अनुसार 2% शुल्क देय होगा।**

हिबानामा/वसीयत/वरासतन/न्यायालयी निर्णय-दाखिल खारिज रु0 500 विलम्ब शुल्क तीन मास (90 दिन) के अन्दर दिये गये प्रार्थना-पत्र पर कोई भी विलम्ब शुल्क देय होगा। विलम्ब शुल्क में छूट का अधिकार कर अधीक्षक/अधिशासी अधिकारी में निहित होगा। शुल्क पैरा 25 के 'ख' के अनुसार देय होगी।

26– उपरोक्त नियम 5 के साथ यदि कोई भवन/भू-खण्ड को अथवा उसके अंश को विलेखों द्वारा या अन्य कारणों हेतु हस्तान्तरित करता है तो विलेख निष्पादन तिथि अथवा कारण तिथि से 120 दिन के अन्दर ग्रहणकर्ताओं अपने नाम नगर पंचायत पाली के अभिलेखों मे दर्ज/अंकित करायेगा, ऐसा न कर पाने की दशा में यह कार्यवाही रु0 5,000/– जमा करने पर ही हो सकेगी। विशेष परिस्थितियों में यह अधिभार अधिशासी अधिकारी कम अथवा माफ कर सकेंगे।

27– **भूल सुधार**–

अधिनियम की धारा 147(1) के खण्ड (छ) तथा धारा 165 में दिये प्राविधानों के अन्तर्गत किसी बिल/कर निर्धारण सूची/डिमाण्ड रजिस्टर, जारी की गयी नोटिस अथवा काटी गयी रसीद पर त्रुटिपूर्ण अंकन का सुधार किसी भी समय भवन स्वामी/अध्यासी को सूचना देकर किया जा सकेगा।

28– नोट–उपरोक्त ''भवन एवं सम्पत्ति गृहकर स्वकर निर्धारण उपविधि नियमावली-2017'' उ0प्र0 राजपत्र में मुद्रण की तिथि से प्रभावी होगी तथा उक्त नियमावली के प्रभावी होते ही नगर पंचायत पाली द्वारा निर्मित भवन से सम्बन्धित पूर्व उपविधियों का प्रभाव उक्त सीमा तक स्वतः शून्य हो जायेगा।

शास्ति

संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 (सं0प्र0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 299 (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचयत पाली, हरदोई यह निर्देश देती है कि उपरोक्त नियमों के किसी अनुच्छेद का उल्लघंन करने पर अर्थदण्ड किया जायेगा। जो रु0 1000/– (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकता है। यदि निरन्तर जारी रहे तो प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता चला आ रहा है तो रु0 25/– (रुपये पच्चीस मात्र) अर्थदण्ड प्रतिदिन उपरोक्त के अतिरिक्त किया जायेगा। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 (छः) मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकेगा।

अध्यक्ष,
नगर पंचायत पाली,
हरदोई।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम गुलाब प्रसाद (Gulab Prasad) पुत्र रामदेव प्रसाद है। जो मेरे आधार कार्ड, इण्टरमीडिएट के अंक प्रमाण पत्र में तथा मेरे पिता के सेवा सम्बन्धित अभिलेखों में अंकित हैं त्रुटिवश मेरे हाईस्कूल के अंक प्रमाण पत्र अनुक्रमांक 23254295 में मेरा नाम गुलाब गुप्ता अंकित हो गया है जो कि गलत है। गुलाब प्रसाद पुत्र रामदेव प्रसाद निवासी 94ख, सरयां बगड़ौरा सलेमपुर, गढ़मलपुर बलिया (उ0प्र0) पिन नं–221709

गुलाब प्रसाद पुत्र रामदेव प्रसाद,
निवासी 94ख, सरयां बगड़ौरा सलेमपुर,
गढ़मलपुर बलिया, (उ0प्र0)।
पिन नं–221709

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे कुछ अभिलेखों में मेरा नाम रमेश चन्द्र पुत्र पुरूषोत्तम दास एवं मेरे कुछ अभिलेखों में मेरा नाम रमेश चन्द्र रस्तोगी पुत्र पुरूषोत्तम दास रस्तोगी अंकित है। रमेश चन्द्र एवं रमेश चन्द्र रस्तोगी एक ही व्यक्ति का नाम है। भविष्य में मुझे रमेश चन्द्र रस्तोगी पुत्र पुरूषोत्तम दास के नाम से जाना–पहचाना जाय।

रमेश चन्द्र रस्तोगी,
मं0 नं0–13/386 द्वितीय तल,
सिविल लाइन्स, कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आकाश गंगा एग्रो फूड इन्डस्ट्रीज कोटद्वार रोड, नजीबाबाद जिला बिजनौर में दिनांक 16 फरवरी 2008 से दो पार्टनर्स 1. श्री नरेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री त्रिलोक चन्द्र गुप्ता निवासी रामकली भवन तहसील रोड नजीबाबाद जिला बिजनौर 2. सचिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री नरेश चन्द्र गुप्ता निवासी रामकली भवन तहसील रोड नजीबाबाद जिला बिजनौर थे।

अब दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से श्री स्पर्श गुप्ता पुत्र श्री सचिन गुप्ता निवासी रामकली भवन मौहल्ला मुगलूशाह, नजीबाबाद जिला बिजनौर उक्त फर्म मेसर्स आकाश गंगा एग्रो फूड इन्डस्ट्रीज कोटद्वार रोड, नजीबाबाद में पार्टनर सम्मिलित हुए है। एवं पार्टनर नं0 01 श्री नरेश चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री त्रिलोक चन्द्र गुप्ता निवासी रामकली भवन तहसील रोड नजीबाबाद जिला बिजनौर फर्म उपरोक्त से स्वेच्छा से निकल गये हैं।

अब इस फर्म में श्री सचिन गुप्ता पार्टनर नं0 01 एवं श्री स्पर्श गुप्ता पार्टनर नं0 02 रह गये हैं। उक्त सूचना आम जानकारी एवं रिकार्ड वास्ते दे रहे है।

सचिन कुमार गुप्ता
पुत्र श्री नरेश चन्द्र गुप्ता,
निवासी रामकली भवन तहसील रोड,
नजीबाबाद जिला बिजनौर।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मे0 बण्डर ग्लास वर्क्स, एस0 एन0 रोड, फिरोजाबाद में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं–

यह है कि उक्त फर्म में दिनांक 01 फरवरी, 2024 को श्री किशन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री नेंमीचन्द अग्रवाल निवासी–104 सुरजीत अपार्टमैन्ट, स्टेशन रोड, फिरोजाबाद को उक्त फर्म में साझेदार की हैसियत से सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में श्री सादात आदिल खान, बिल्कीस बेगम तथा श्री किशन कुमार अग्रवाल भागीदार है।

सादात आदिल खान,
भागीदार,
में0 बण्डर ग्लास वर्क्स,
एस0एन0 रोड, फिरोजाबाद।

सूचना

सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म में0 ओ0एस0 कोल्ड स्टोरेज, ग्राम चिरावली पोस्ट मई तहसील

सादाबाद जिला–हाथरस में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार हैं–

यह है कि उक्त फर्म में दिनांक 23 फरवरी, 2024 को श्री अंकित वर्मा पुत्र श्री अजय कुमार वर्मा निवासी–ग्राम–पोस्ट मई तहसील सादाबाद जिला हाथरस को साझेदार की हैसियत से सम्मिलित कर लिया गया है। अब फर्म में श्री अजय कुमार वर्मा तथा श्रीमती बबिता वर्मा तथा श्री अंकित वर्मा भागीदार है।

अजय कुमार वर्मा,
भागीदार,
में0 ओ0एस0 कोल्ड स्टोरेज,
ग्राम चिरावली पोस्ट मई तहसील,
सादाबाद जिला–हाथरस।

पी0एस0यू0पी0–5 हिन्दी गजट–भाग 8–2024 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।